केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–424)

अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - vii
प्रथम	मूल्यांकन संरचना	1 – 7
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	8 – 26
तृतीय	अध्ययन के परिणाम	27 – 53
चतुर्थ	समस्याऐं एवं सुझाव	54 – 56
	प्रतिवेदन कार्य में सहभागी अधिकारी/ कर्मचारियों की सूची	57

———

उद्‌बोधन

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के शैक्षिक विकास हेतु छात्रवृत्ति देने का प्रावधान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया था। अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना राज्य में वर्ष 1992–93 में प्रारम्भ की गई। छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शुष्क शोचालयों की सफाई करने वाले, चर्म शोधन करने वाले, चमड़ा उतारने वाले तथा सफाई कार्य में परम्परागत रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा अर्जन करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके शिक्षा स्तर में सुधार लाना मुख्य उद्‌देश्य है, ताकि सदियों से शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े अस्वच्छ कर्मी परिवार समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके।

छात्रवृत्ति योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत राज्य तथा 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को 10 माह के लिए दी जाती है। इस योजना से अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को उपलब्ध करवायी गई छात्रवृत्ति के आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रभाव को ज्ञात करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रस्तावानुसार मूल्यांकन अध्ययन सम्पन्न किया गया है।

अध्ययन प्रतिवेदन से परिलक्षित होता है कि इस योजना से लाभ उठाने वाले छात्र/छात्राओं में वर्षवार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और अस्वच्छकारों के बच्चों का शैक्षणिक विकास हुआ है। प्रतिवेदन में योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु यथेष्ठ उपयोगी सुझाव दिये गये हैं, आशा है सुझावों की क्रियान्विति से योजना को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा।

तिथि : अप्रेल,2008
स्थान : जयपुर

(वी.श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

सदियों से समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकांश व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमजोर, दलित एवं शोषित रहे हैं। समाज की मुख्यधारा से दूर इस वर्ग के लोगों के लिये निरक्षर होना सबसे बड़ा अभिशाप रहा है। ऐसे अस्वच्छ कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों को शिक्षा से जोड़ना इनकी उन्नति का प्रथम सोपान है। समाज के सभी वर्गों के उत्थान की मूल भावना के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992–93 में अस्वच्छ कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गयी। योजना के तहत 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार सुलभ करवाती है।

योजना के तहत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत लक्षित छात्रों को मैट्रिक पूर्व तक पाठ्यपुस्तकें, भोजन, गणवेश एवं छात्रावास में आवासीय सुविधाऐं निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाने के प्रावधान है। साथ ही शिक्षा विभाग के माध्यम से 40 से 75 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी उपलब्ध करवाने के प्रावधान रखे गये। छात्र–छात्राओं को उपलब्ध सुविधाओं की उपयोगिता, प्रभाव एवं प्रासंगिकता का आकलन करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षानुसार भारत सरकार द्वारा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान होने पर भी राज्य सरकार के नीतिगत रूप से दोहरा लाभ देने के पक्ष में नहीं होने से आवासीय छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही थी। चयनित 60.78 प्रतिशत दिवस छात्रों ने छात्रवृत्ति का उपयोग परीक्षा की तैयारी, विद्यालय शुल्क, फीस, जूते एवं अन्य सामग्री खरीदने में किया था। अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि छात्रवृत्ति से छात्रों एवं उनके परिवार को आर्थिक सम्बल प्राप्त हुआ है एवं परिवारों में शिक्षा के प्रति रूझान में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण परिणाम में छात्रवृत्ति की राशि समय पर नहीं मिलना, अयोग्य पात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलना, राशि कम होना आदि कठिनाईयाँ भी उजागर हुई है जिनके प्रासंगिक सुझाव यथास्थान दिये गये हैं। मैं आशा करती हूँ कि विभाग द्वारा नियमानुकूल एवं युक्तियुक्त सुझावों की क्रियान्विति कार्यक्रम को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

तिथि : अप्रेल,2008
स्थान : जयपुर

(मधु पोखरना)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

निष्पादक संक्षेप

I मूल्यांकन परिवेश :

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्गो के लोगों का आर्थिक स्तर सुदृढ़ नहीं होना उनके शैक्षणिक विकास में मुख्य बाधक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इन परिवारों के बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु छात्रावास सुविधा के अतिरिक्त छात्रवृति योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से लक्षित समूहों के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा, पाठ्य पुस्तकें, भोजन, पोशाक एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जा रही है और प्रशिक्षण की व्यवस्थाएँ की गयी है जिससे उनका शैक्षणिक विकास हो सके। अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियाँ यथा पूर्व मैट्रिक छात्रवृति, पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति–अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृति उपलब्ध करवायी जा रही है। अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न परिवारों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नयन के शासकीय संकल्प के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा इस वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति के साथ समस्त शैक्षणिक सहायक सुविधाएँ निःशुल्क मुहैया करवाई जा रही है।

II योजना का उद्देश्य :

अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृति योजना राज्य में वर्ष 1992–93 से प्रारम्भ की गयी। छात्रवृति योजना का मुख्य उद्देश्य शुष्क शौचालयों की सफाई करने वाले, चर्म शौधन करने वाले, चमड़ा उतारने वाले तथा सफाई कार्य में परम्परागत रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा अर्जन करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके शिक्षा स्तर में सुधार लाना है ताकि सदियों से शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े अस्वच्छ कर्मी परिवार, समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके।

III योजना की पात्रताएं :

योजनान्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने हेतु मुख्य–मुख्य पात्रताऐं निम्न प्रकार है :–

(i) छात्रवृति उन भारतीय नागरिकों के बच्चों को देय है जो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, शुष्क शौचालयों की सफाई तथा अन्य अस्वच्छ व्यवसायों यथा चर्म शोधन, चमड़ा उतारने के कामों में सक्रिय रूप से लगे हो, जिन्हें परम्परागत रूप से अस्वच्छ समझा जाता है।

(ii) इस योजना का लाभ केवल उन स्वच्छकारों के बच्चों को ही उपलब्ध कराया जाता है जो परम्परागत रूप से सफाई कार्य में लगे हुए है।

(iii) ऐसे माता–पिता के बच्चे जो ऐसे व्यवसाय में कार्यरत नहीं है परन्तु जिन्हें अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों ने दत्तक ग्रहण किया है एवं निरन्तर उनके साथ रह रहे हो तो दत्तक ग्रहण से तीन वर्ष बाद पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रवृति दी जाती है।

(iv) छात्रवृति प्राप्त करने वाले बच्चों से प्रतिवर्ष उनके माता–पिता के अस्वच्छ कार्य में लगे रहने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।

(v) छात्रवृति के लिए एक परिवार में से आठवीं कक्षा तक के अध्ययनरत बच्चों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु 1.4.1993 के बाद जन्में तीसरे बच्चे को लाभ देय नहीं है। कक्षा 9 एवं 10 हेतु एक परिवार में से केवल दो बच्चों को ही छात्रवृति उपलब्ध करवायी जाती है।

(vi) छात्रवृति हेतु अभिभावकों की आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

IV योजना की रूपरेखा :

योजनान्तर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पूर्व मैट्रिक पाठ्यक्रमों के बच्चों को छात्रवृति उपलब्ध करायी जाती है। विद्यालयों में पढ़ने वाले दिवस विद्यार्थी (Day Scholars) एवं छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों (Hostelers) को सरकार द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। दिवस छात्रों के मामले में पहली कक्षा से मैट्रिक पूर्व स्तर तक की किसी भी कक्षा में दाखिल छात्रों को एवं छात्रावास में रहने वाले छात्रों को तीसरी कक्षा से मैट्रिक पूर्व तक की कक्षाओं में छात्रवृति दी जाती है। छात्रवृति कक्षा 10 के पश्चात् समाप्त हो जाती है। एक शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृति की अवधि 10 महीने की होती है। छात्रवृति योजना की जानकारी राज्य स्तरीय स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा समय पर दी जाती है। एक बार विद्यार्थियों का चयन होने पर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृति का नवीनीकरण विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा करवाया जाता है। नवीनीकरण के समय अध्ययनरत छात्रों से अगले शैक्षणिक वर्ष में उनके माता–पिता के अस्वच्छ कार्य में लगे रहने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।

V योजना का क्रियान्वयन :

वित्तीय प्रबन्धन :

यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है जिसके तहत 50 प्रतिशत धन राशि केन्द्र सरकार एवं 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार सुलभ करवाती है। इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1992–93 से समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण में शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा से पूर्व मैट्रिक के अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के प्रस्ताव प्राप्त कर राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से राशि प्राप्त की जाती है जिसका वितरण शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा पात्र बालक– बालिकाओं को किया जाता है।

योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृति राशि रूपये 40 से 75 रूपये प्रतिमाह देय है। कक्षावार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

(राशि रुपयों में)

कक्षा	देय छात्रवृत्ति (प्रतिमाह)	दिवस छात्रों को अनुदान (प्रतिवर्ष)	छात्रावास में रहने वाले छात्रों को अनुदान (प्रतिवर्ष)
1–5	40	550	600
6–8	60	550	600
9–10	75	550	600

VI मूल्यांकन की आवश्यकता :

अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृति योजना राज्य में वर्ष 1992–93 से संचालित की जा रही है। इस योजना से अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को उपलब्ध करवाई गई छात्रवृत्ति के आर्थिक प्रभाव को ज्ञात करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्तावानुसार इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया ।

VII मूल्यांकन के उद्देश्य :

अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को उपलब्ध करायी गयी छात्रवृति के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है :–

(i) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,
(ii) लाभान्वितों की पात्रता का आकलन करना,
(iii) लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी छात्रवृति की वास्तविक स्थिति ज्ञात करना,
(iv) छात्रवृति राशि से छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन स्तर पर पड़े प्रभावों को ज्ञात करना,
(v) योजनान्तर्गत राशि की उपलब्धता एवं पर्याप्तता का आकलन करना तथा छात्रवृति वितरण की समयावधि का आकलन करना एवं
(vi) योजना के संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव संकलित करना,

VIII न्यादर्श :

अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना राज्य के सभी 32 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। विभाग में उपलब्ध जनशक्ति, संसाधनों, योजना की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए योजना के मूल्यांकन हेतु संस्तरित बहुस्तरीय न्यादर्श (स्टेटाफाईड मल्टीस्टेज सैम्पलिंग) पद्धति का आधार मानते हुए सर्वप्रथम 50 प्रतिशत अर्थात् चार सम्भागों का चयन किया गया तत्पश्चात् प्रत्येक सम्भाग से चार जिले अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं जयपुर का चयन किया गया।

चयनित जिलों से 11 पंचायत समिति/नगर पालिकाओं का चयन कर कुल 18 दिवस विद्यालय एवं 8 स्वच्छकार छात्रावासों का चयन किया गया। सर्वेक्षण हेतु चयनित विद्यालय एवं छात्रावासों के कुल 205 विद्यार्थियों का चयन कर अनुसूचियाँ भरी गई। साथ ही 42 सरकारी/गैर–सरकारी कार्यकारियों से वार्ताकर सूचना एकत्रित की गई।

IX सन्दर्भ वर्ष :

अध्ययन हेतु वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की सूचना प्राप्त की गई। साक्षात्कार की सूचना सर्वे दिनांक से संबंधित है।

X भौतिक प्रगति :

राज्य स्तर पर वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक योजनान्तर्गत 13066 को छात्रवृत्ति देने के लक्ष्य के विरूद्ध 12582 (96.29 प्रतिशत) को छात्रवृत्ति दी गयी।

XI वित्तीय प्रगति :

योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल 128.82 लाख की राशि शिक्षा विभाग एवं संस्कृत विभाग को प्रदान की गयी जिसके विरूद्ध राशि 127.95 लाख व्यय की गयी जो कुल व्यय का 99.32 प्रतिशत है।

XII अध्ययन के परिणाम :

चयनित 205 छात्रों में से 153 छात्र दिवस विद्यार्थी एवं 52 छात्र होस्टलर्स थे। शत–प्रतिशत चयनित छात्र अनुसूचित जाति के थे। चयनित छात्रों में सर्वाधिक 90 (44 प्रतिशत) जयपुर के, 55 (27 प्रतिशत) अजमेर के, 39 (19 प्रतिशत) उदयपुर के एवं 21 (10 प्रतिशत) जोधपुर के थे। चयनित छात्रों में 115 (56.10 प्रतिशत) छात्र एवं 90 (43.90 प्रतिशत) छात्राएं थी। चयनित 205 छात्रों में से 93 (45.37 प्रतिशत) छात्रों के परिवारों का मुख्य व्यवसाय चर्म कार्य, 33 (16.10 प्रतिशत) का मजदूरी, 14 (6.83 प्रतिशत) का अस्वच्छ कार्य, 12 (5.85 प्रतिशत) का स्वयं का व्यवसाय एवं 1 (0.48 प्रतिशत) परिवार का मुख्य व्यवसाय नौकरी है। संक्षेप में 107 (52.20 प्रतिशत) छात्रों के परिवार प्रत्यक्ष रूप से अस्वच्छ व्यवसायों से जुड़े हुये थे।

चयनित 205 छात्रों में से 67 (32.68 प्रतिशत) छात्र प्राथमिक कक्षा में, 83 (40.49 प्रतिशत) उच्च प्राथमिक कक्षा में, 48 (23.41 प्रतिशत) माध्यमिक कक्षा में एवं शेष 7 (3.42 प्रतिशत) छात्र उच्च माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहे थे।

चयनित 205 छात्रों के परिवारों में कुल 544 अध्ययनरत छात्र थे, उनमें 332 (61.02 प्रतिशत) को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी। शेष छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त न होने का कारण संभवतया उनका पात्र न होना, अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र न देना अथवा वर्ष 1993 के पश्चात् तीसरी सन्तान होना रहा है।

सभी चयनित 153 दिवस छात्र उत्तरदाताओं में से 111 (72.55 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने प्रतिवर्ष अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि शेष 42 (27.43 प्रतिशत) ने प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। सभी चयनित 153 दिवस छात्रों में से 152 (99.35 प्रतिशत) को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी तथा 1 (0.65 प्रतिशत) उत्तरदाता ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होना बतलाया। चयनित 153 दिवस छात्रों में से 34 (22.22 प्रतिशत) छात्रों को गत एक वर्ष से, 74 (48.37 प्रतिशत) को दो वर्ष से, 26 (16.99 प्रतिशत) को तीन वर्षों से, 6 (3.92 प्रतिशत) को चार वर्षों से एवं शेष 12 (7.84 प्रतिशत) को 5 वर्षों से भी अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। चयनित 153 दिवस छात्रों में से 93 (60.78 प्रतिशत) को नियमित रूप से छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि प्राप्त हो रही है लेकिन 56 (36.60 प्रतिशत) को छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि नहीं मिल रही थी एवं 4 (2.62 प्रतिशत) ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। चयनित छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति का उपयोग परीक्षा की तैयारी करने, अध्ययन सामग्री खरीदने, विद्यालय शुल्क, फीस एवं गणवेश बनवाने, नये कपड़े खरीदने, सिलवाने तथा जूते खरीदने, विद्यालय में अवकाश होने पर गाँव आने–जाने एवं घरेलू सामान/सामग्री खरीदने तथा अभिभावकों द्वारा परिवार में निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना बताया गया।

छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास में निःशुल्क भोजन, आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी नियमों में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, परन्तु राज्य सरकार दोहरा लाभ देने के पक्ष में नहीं है इसलिए 52 छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों में से 35 (67.30 प्रतिशत) ने बताया कि उनको तदर्थ अनुदान राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया है, शेष 17 (32.70 प्रतिशत) ने अनुदान राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में चैक से जमा करवायी जाती है। अतः सम्भवतया विद्यार्थियों को अनुदान राशि की जानकारी नहीं थी।

XIII योजना संचालन में आ रही कठिनाईयों का विवरण :

(i) संचालित योजना की जानकारी कई पात्र छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तथा अस्वच्छकार का प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी की जानकारी नहीं होने के कारण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाइयाँ आती है।

(ii) कुछ विद्यार्थियों द्वारा सरपंच से प्राप्त स्वच्छकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है जबकि उनके अभिभावक स्वच्छकार कार्य नहीं करते है। फलतः अपात्र छात्र–छात्राओं को भी योजना का लाभ मिल जाता है।

(iii) कार्यकारी विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं को मांग के अनुसार राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को देय राशि का वितरण समय पर नहीं हो पाता है, जिससे शैक्षणिक कार्यों की अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति में व्यवधान बताया गया है।

(iv) छात्रावास में आवासीय छात्र–छात्राओं को तदर्थ अनुदान राशि अल्प होने से शैक्षणिक कार्य सुगमता पूर्वक सम्पन्न नहीं हुआ।

(v) स्टाफ की कमी के कारण शाला में छात्रवृत्ति व तदर्थ अनुदान का एक ही लेखा संधारित किया जाता है जबकि दोनों मद अलग–अलग है।

(vi) उदयपुर एवं अजमेर के छात्र–छात्राओं ने अवगत कराया कि शालाओं में विभाग द्वारा 10 माह के स्थान पर 8 माह की ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जा रही है।

(vii) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत देय राशि की मात्रा बढ़ते हुए मूल्य सूचकांक को देखते हुए अल्प बतायी गई है। छात्रवृत्ति की राशि आकर्षक नहीं होने के कारण अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक कार्य के प्रति लगाव प्रभावित है।

(viii) छात्रवृत्ति की राशि का वितरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में नहीं होकर अगले वित्तीय वर्ष में होता है जो छात्र–छात्राओं के शिक्षण कार्य के प्रति रूचि को कम करता है।

XIV योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव :

(i) विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना का प्रचार–प्रसार ग्रामीण अंचलों तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्वच्छकार का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी का मनोनयन कर सम्बन्धित कार्यकारी विभाग को जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उनकी पालना के पश्चात् राशि का वितरण हो सके।

(ii) सरपंच द्वारा जारी स्वच्छकार प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए।

(iii) कार्यकारी विभाग द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित छात्रवृत्ति राशि समय पर उपलब्ध करायी जाकर शिक्षण संस्थाओं के द्वारा समय पर राशि के वितरण कार्य को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक कार्य में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो।

(iv) छात्रावास में आवासीय छात्र–छात्राओं को तदर्थ अनुदान राशि में 40 प्रतिशत संवर्द्धन किया जाना चाहिए ताकि छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक कार्य में सफलता मिल सके।

(v) सभी छात्र–छात्राओं को देय छात्रवृत्ति की राशि सम्बन्धित शाला द्वारा समय पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि छात्र–छात्राओं को शिक्षा के प्रति रूझान उत्पन्न हो सके।

(vi) शाला द्वारा छात्रवृत्ति व तदर्थ अनुदान लेखा का संधारण अलग–अलग नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(vii) छात्रवृत्ति की राशि विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड़ानुसार कक्षा 10 तक के सभी पात्रताधारी छात्रों को 10 माह तक उपलब्ध कराये जाने की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए एवं राशि का वितरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही किया जाना चाहिए।

XV अध्ययन निष्कर्ष :

अध्ययन उपरान्त निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्रताधारी छात्र/छात्राओं को निर्धारित मानदण्डानुसार प्रतिमाह छात्रवृत्ति 10 माह के लिए उपलब्ध करवायी जा रही है। छात्रवृत्ति की प्राप्त राशि से उन्हें आर्थिक सम्बल प्राप्त हुआ है, स्वच्छकारों के बच्चों का शैक्षणिक स्तर बढ़ा है, बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है, घर–परिवार, शारीरिक साफ–सफाई, स्वच्छता के साथ–साथ सामाजिक सम्मान में वृद्धि हुई है एवं बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव, मानसिक सोच में बदलाव आया है। संक्षेप में छात्रवृत्ति योजना से छात्र/छात्राओं के जीवन पर अच्छा एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

———

अध्याय प्रथम

मूल्यांकन संरचना

1.1 मूल्यांकन परिवेश :

1.1.1 भारत वर्ष की आजादी के समय से ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सफाई कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु कटिबद्ध रही है । इसी परिपेक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गो की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि करने तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करने हेतु वर्ष 1951–52 में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गयी। वर्ष 1955–56 से इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग रखा गया एवं वर्ष 2007–08 में विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रखा गया। इस विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ समाज के अत्यधिक गरीब, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन, वृद्ध, विमुक्त एवं धुमन्तू और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है।

1.1.2 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्गो के लोगों का आर्थिक स्तर सुदृढ़ नहीं होना उनके शैक्षणिक विकास में मुख्य बाधक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इन परिवारों के बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु छात्रावास सुविधा के अतिरिक्त छात्रवृति योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से लक्षित समूहों के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा, पाठ्य पुस्तकें, भोजन, पोशाक एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जा रही है एवं प्रशिक्षण की व्यवस्थाएँ की गयी है जिससे उनका शैक्षणिक विकास हो सके। अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियाँ यथा पूर्व मैट्रिक छात्रवृति, पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति–अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृति करवायी जा रही है। अस्वच्छ व्यवसाय में सलंग्न परिवारों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नयन के शासकीय संकल्प के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा इस वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति के साथ समस्त शैक्षणिक सहायक सुविधाएँ निःशुल्क मुहैया करवाई जा रही है।

1.2 योजना का उद्देश्य :

1.2.1 अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृति योजना राज्य में वर्ष 1992–93 से प्रारम्भ की गयी । छात्रवृति योजनान्तर्गत शुष्क शौचालयों की सफाई करने वाले, चर्म शौधन करने वाले, चमड़ा उतारने वाले तथा सफाई कार्य में परम्परागत रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा अर्जन करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके शिक्षा स्तर में सुधार लाना मुख्य उद्देश्य है ताकि सदियों से शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े अस्वच्छ कर्मी परिवार समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर विकास की मुख्य धारा में स्थान प्राप्त कर सके।

1.3 **योजना की पात्रताएं :**

1.3.1 योजनान्तर्गत छात्रवृति हेतु पात्रता की मुख्य–मुख्य शर्ते निम्न प्रकार है :–

(i) छात्रवृतियाँ उन भारतीय नागरिकों के बच्चों को देय है जो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, शुष्क शौचालयों की सफाई तथा अन्य अस्वच्छ व्यवसायों यथा चर्म शोधन, चमड़ा उतारने के कामों में सक्रिय रूप से लगे हो, जिन्हें परम्परागत रूप से अस्वच्छ समझा जाता है।

(ii) इस योजना का लाभ केवल उन स्वच्छकारों के बच्चों को ही उपलब्ध कराया जाता है जो परम्परागत रूप से सफाई कार्य में जुड़े हुए है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में केवल उन लोगों के बच्चों को योजना का लाभ मिलता है जो वास्तविक रूप से शुष्क शौचालयों की सफाई, चर्म शोधन तथा चमड़ा उतारने के कार्य में लगे हुए है।

(iv) ऐसे माता–पिता के बच्चे जो ऐसे व्यवसाय में कार्यरत नहीं है परन्तु जिन्हें अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों ने दत्तक ग्रहण किया है एवं निरन्तर उनके साथ रह रहे हो तो दत्तक ग्रहण से तीन वर्ष बाद पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रवृति दी जाती है।

(v) छात्रवृति प्राप्त करने वाले बच्चों से प्रतिवर्ष उनके माता–पिता के अस्वच्छ कार्य में लगे रहने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।

(vi) छात्रवृति के लिए एक परिवार में से आठवीं कक्षा तक के अध्ययनरत बच्चों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु यदि 1.4.1993 के बाद जन्में तीसरे बच्चे को लाभ देय नहीं है। कक्षा 9 एवं 10 हेतु एक परिवार में से केवल दो बच्चों को ही छात्रवृति उपलब्ध करवायी जाती है।

(vii) छात्रवृति हेतु अभिभावकों की आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

1.4 **योजना की रूपरेखा :**

1.4.1 योजनान्तर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पूर्व मैट्रिक पाठ्यक्रमों के बच्चों को छात्रवृति उपलब्ध करायी जाती है। विद्यालयों में पढ़ने वाले दिवस विधार्थी (Day Scholars) एवं छात्रावास आवासीत विधार्थी (Hostelers) को शासन द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत राशि बतौर छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। छात्रवृतियाँ दिवस छात्रों के मामले में पहली कक्षा से मैट्रिक पूर्व स्तर तक की किसी भी कक्षा में दाखिल छात्रों को एवं छात्रावास में रहने वाले छात्रों को तीसरी कक्षा से

मैट्रिक पूर्व तक की कक्षाओं में दाखिल छात्रों को छात्रवृति दी जाती है। छात्रवृति कक्षा 10 के पश्चात् समाप्त हो जाती है। एक शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृति की अवधि 10 महीने की होती है। छात्रवृति योजना की जानकारी राज्य स्तरीय स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा समय पर की जाती है। एक बार विद्यार्थियों का चयन होने पर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृति का नवीनीकरण विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा करवाया जाता है। नवीनीकरण के समय अध्ययनरत छात्रों से अगले शैक्षणिक वर्ष में उनके माता–पिता के अस्वच्छ कार्य में लगे रहने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।

1.5 योजना का क्रियान्वयन :

1.5.1 वित्तीय प्रबन्धन :

यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है जिसके तहत 50% धन राशि राज्य सरकार सुलभ करवाती है इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1992–93 से समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण में किया जा रहा था परन्तु वर्ष 1996–97 से यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा से पूर्व मैट्रिक के अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के प्रस्ताव प्राप्त कर राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से राशि प्राप्त की जाती है जिसका वितरण शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा पात्र बालक– बालिकाओं को किया जाता है। सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित स्वच्छकार छात्रावासों में आवासीत अध्ययनरत विधार्थियों को छात्रवृति विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है।

1.5.2 शिक्षा विभाग के माध्यम से योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृति राशि रूपये 40 से 75 रूपये प्रतिमाह देय है। कक्षा 1 से 5 तक 40 रूपये, कक्षा 6 से 8 तक 60 रूपये तथा कक्षा 9 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को 75 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति 10 माह के लिए उपलब्ध करवायी जाती है। इसके अतिरिक्त सभी विद्यार्थियों को 550 रूपये प्रति विद्यार्थी तदर्थ अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। स्वच्छकार छात्रावासों में आवासीत छात्र–छात्राओं को कक्षा 3 से 8 तक 300 रूपये प्रतिमाह एवं कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं को 375 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति 10 माह के लिए उपलब्ध करवायी जाती है। छात्रावासों में आवासीत विधार्थियों को 600 रूपये प्रति विधार्थी तदर्थ अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है।

1.6 मूल्यांकन की आवश्यकता :

1.6.1 अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृति योजना राज्य में वर्ष 1992–93 से संचालित की जा रही है। इस योजना से अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को उपलब्ध करवाई गई छात्रवृत्ति के आर्थिक प्रभाव को ज्ञात करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रस्तावानुसार इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है।

1.7 मूल्यांकन के उद्देश्य :

1.7.1 अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को उपलब्ध करायी गयी छात्रवृति के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैः–

(i) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,

(ii) लाभान्वितों की पात्रता का आकलन करना,

(iii) लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी छात्रवृति की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करना,

(iv) छात्रवृति राशि से छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक, सामाजिक एवं जीवन स्तर पर पड़े प्रभावों को ज्ञात करना,

(v) योजनान्तर्गत राशि की उपलब्धता एवं पर्याप्तता का आकलन करना तथा छात्रवृति वितरण की समयावधि का आकलन करना एवं

(vi) योजना के संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव संकलित करना,

1.8 न्यादर्श परिकल्पना :

1.8.1 अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृति योजना राज्य के समस्त 32 जिलों में वर्ष 1992–93 से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत पात्र छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृति उपलब्ध करवायी जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वच्छकार जाति के छात्र–छात्राओं के लिए 63 छात्रावास वर्ष 2004–05 में संचालित किये जा रहे थे जिनमें से 56 छात्रावास छात्रों एवं 7 छात्रावास छात्राओं के थे। छात्रावासों में आवासीत छात्र–छात्राओं को भी छात्रवृति उपलब्ध करवायी जाती है। इस प्रकार से अध्ययन के न्यादर्श में ग्रामीण एवं शहरी, छात्र एवं छात्राओं, छात्रावासों में आवासीत एवं गैर आवासीत तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में अध्ययनरत छात्र– छात्राओं का चयन में प्रतिनिधित्व दिया जाकर क्षैत्रिय कार्य किया गया। अघ्ययन के न्यादर्श के चयन हेतु संचालित स्वच्छकार छात्रावासों को आधार मान कर किया गया क्योंकि छात्रावास ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में संचालित है एवं उनमें छात्र–छात्राएँ दोनों आवासीत है तथा छात्रावास स्थलों के पास छात्र–छात्रा विद्यालय भी संचालित है जिनमें छात्रावासों में आवासित एवं गैर आवासित छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत है।

1.8.2 **न्यादर्श स्वरूप :**

1.8.2.1 विभाग में उपलब्ध जनशक्ति संसाधनों, संचालित स्वच्छकार छात्रावासों एवं योजना की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए योजना के मूल्यांकन हेतु संस्तरित बहुस्तरीय न्यादर्श (स्ट्रेटाफाईड मल्टीस्टेज सैपलिंग) पद्धति को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से चयन किया गया :–

1. प्रथम स्तर पर राज्य के सभी सात संभागों को स्ट्रेटा मानकर 50% संभागों का चयन सामान्य न्यादर्श से चार संभागों यथा जोधपुर, अजमेर, उदयपुर एवं जयपुर का किया गया।

2. द्वितीय स्तर पर प्रत्येक संभाग से एक–एक जिले का चयन संचालित स्वच्छकार छात्रावासों की संख्या एवं उनके प्रकार (छात्र/छात्रा) के साथ–साथ वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 की भौतिक प्रगति का ध्यान में रखते हुए चार जिलों यथा जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, एवं जयपुर को चयनित किये गये।

3. तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिलों में संचालित दो छात्रावास क्षेत्रों का चयन किया गया। दो छात्रावासों का चयन इस प्रकार किया जिसमें शहरी/ग्रामीण एवं छात्रा छात्रावास के चयन की सुनिश्चितता हो सके। यदि चयनित जिले में छात्रा एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्रावास संचालित नहीं है तो संचालित छात्रावासों में से दो छात्रावास क्षेत्र का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 8 छात्रावास क्षेत्रों का चयन किया गया।

4. चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित छात्रावास क्षेत्र में नजदीक के दो विद्यालय चयनित किये गये। विद्यालयों के चयन में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक (पूर्व मैट्रिक) श्रेणी के विद्यालयों के साथ–साथ छात्रावास में आवासीत एवं गैर आवासीत विधार्थियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर चयनित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चयनित जिलों में चयनित छात्रावास क्षेत्रों के एक संस्कृत विद्यालय का भी चयन किया गया जिसमें अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार 18 विद्यालयों का अध्ययन हेतु चयन किया गया।

5. अन्तिम पंचम स्तर पर प्रत्येक चयनित विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से सर्वे दिनांक को अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के अध्ययनरत समस्त बच्चों को जिनको छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जा रही है, का चयन कर लाभार्थी अनुसूची भरी गई।

1.9.0 **अध्ययन उपकरण :**

1.9.1 अध्ययन हेतु निर्धारित दिशा बिन्दुओं की समीक्षा आकंलन एवं प्रभाव को ज्ञात करने हेतु निम्न लिखित का उपयोग कर सूचना/तथ्य/विचार/भौतिक/आर्थिक स्थिति इत्यादि से संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु निम्न अनुसूचियाँ प्रयुक्त की गई। जिनका विवरण अनुसूचियों के यथा स्थान अंकित किया गया :–

(i) **राज्य प्रलेख अनुसूची :**

इस अनुसूची में समाज कल्याण विभाग से राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संबंधी सूचनाएँ एकत्रित की गई। जिसमें छात्रावास में आवासीत एवं दिवस छात्र/छात्राओं की देय छात्रवृत्ति राशि एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं की भौतिक प्रगति की सूचना प्राप्त की गई है।

(ii) **स्वच्छकार छात्रावास अनुसूची :**

इस अनुसूची में चयनित छात्रावास से छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाएं प्राप्त की गई एवं छात्रावास में आवासीत विद्यार्थियों को देय सुविधा का आकलन किया गया।

(iii) **विद्यालय अनुसूची :**

इस अनुसूची में चयनित विद्यालय अस्वच्छ परिवारों के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के साथ वित्तीय प्रगति, राशि की उपलब्धता, योजना के संचालन में आ रही कठिनाईयाँ एवं सुझावों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

(iv) **विधार्थी अभिभावक अनुसूची :**

इस अनुसूची में चयनित विधार्थियों के अभिभावकों से साक्षात्कार कर छात्रवृति के संबंध में छात्रों के विचार विमर्श कर उसकी वास्तविक स्थिति एवं योजना में आ रही कठिनाईयाँ एवं सुझाव एवं अवलोकन के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की गई ।

(v) **कार्यकारी अनुसूची :**

इस अनुसूची में योजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों एवं गैर सरकारी उत्तरदाताओं से विचार विमर्श कर प्राप्त जानकारियों/तथ्यों की सूचना प्राप्त की गई। जिला स्तरीय, चयनित छात्रावास एवं विद्यालय से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों एवं योजना में रूचि रखने वाले व्यक्तियों से साक्षात्कार कर अनुसूची भरी गई।

(vi) **अवलोकन टिप्पणी :**

अध्ययन के क्षेत्र कार्य में कार्यरत प्रत्येक प्रभारी अधिकारी एवं अन्वेषण सहायक/अन्वेषक द्वारा अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप पृथक–पृथक अवलोकित तथ्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया।

1.10 **संदर्भ अवधि :**

1.10.1 अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य दौरान प्रलेख सूचनाएँ वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 (अद्यतन) की प्राप्त की गई तथा लाभार्थियों एवं कार्यकारियों के विचार एवं अवलोकित तथ्य सर्वेक्षण तिथि के अनुसूचियों में अंकित किये गये।

———

अध्याय द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1.0 **योजना स्वरूप :**

2.1.1 **परिचयात्मक विवरण :**

2.1.2 अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना राज्य में वर्ष 1992–93 से प्रारम्भ की गयी। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की गयी प्रगति का विवरण इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2.2.0 **भौतिक प्रगति :**

2.2.1 योजनान्तर्गत की गयी प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं	शैक्षणिक सत्र	लक्ष्य			उपलब्धि		
		शिक्षा विभाग	संस्कृत शिक्षा	योग	शिक्षा विभाग	संस्कृत शिक्षा	योग
1.	2003–04	2101	91	2192	2101	91	2192
2.	2004–05	1766	542	2308	1766	542	2308
3.	2005–06	3547	516	4063	3525	516	4041
4.	2006–07	3670	833	4503	3208	833	4041
	योग	**11084**	**1982**	**13066**	**10600**	**1982**	**12582**

2.2.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा के द्वारा 13066 को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 12582 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी जो 96.29 प्रतिशत है।

2.3.0 **विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति राशि की दरों का विवरण :**

2.3.1 शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं	शैक्षणिक स्तर	वर्षवार प्रगति							
		2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान
1.	1–5 कक्षा	40	550	40	550	40	550	40	550
2.	कक्षा 6 –8 तक	60	550	60	550	60	550	60	550
3.	9–10 कक्षा तक	75	550	75	550	75	550	75	550

2.3.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा के द्वारा क्रमशः कक्षा 1 से 5 तक को 40/– रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 550 तदर्थ अनुदान प्रति छात्र दिया जा रहा है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 60 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 550 तदर्थ अनुदान दिया जा रहा है। कक्षा 9 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को 75 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 550 तदर्थ अनुदान दिया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार छात्रवृत्ति एवं अनुदान दिया जा रहा है।

2.4.0 शैक्षणिक सत्र के दौरान प्राप्त राशि का विवरण :

2.4.1 अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को छात्रवृत्ति वितरण योजना हेतु प्राप्त राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	शिक्षा विभाग शैक्षणिक सत्र		संस्कृत शिक्षा का शैक्षणिक सत्र		योग	
		प्राप्त कुल राशि	दौरान प्राप्त राशि	प्राप्त कुल राशि	दौरान प्राप्त राशि	प्राप्त कुल राशि	दौरान प्राप्त राशि
1.	2003–04	20.00	20.00	0.71	0.71	20.71	20.71
2.	2004–05	20.00	20.00	2.99	2.99	22.99	22.99
3.	2005–06	42.22	42.22	3.95	3.95	46.17	46.17
4.	2006–07	31.99	31.99	6.96	6.96	38.95	38.95
	योग	**114.21**	**114.21**	**14.61**	**14.61**	**128.82**	**128.82**
	प्रतिशत						**100**

2.4.2 तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत प्राप्त राशि और सत्र के दौरान प्राप्त राशि में कोई अन्तर नहीं है अर्थात् जितनी राशि प्राप्त होनी थी उतनी ही राशि सत्र के दौरान प्राप्त हुई।

2.5.0 योजनान्तर्गत की गयी वित्तीय प्रगति का विवरण :

2.5.1 अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत की गयी वित्तीय प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र.सं	वर्ष	आवंटन			व्यय		
		शिक्षा विभाग	संस्कृत शिक्षा	योग	शिक्षा विभाग	संस्कृत शिक्षा	योग
1.	2003–04	20.00	0.71	20.71	19.51	0.71	20.22
2.	2004–05	20.00	2.99	22.99	19.83	2.99	22.82
3.	2005–06	42.22	3.95	46.17	42.01	3.95	45.96
4.	2006–07	31.99	6.96	38.95	31.99	6.96	38.95
	योग	**114.21**	**14.61**	**128.82**	**113.34**	**14.61**	**127.95**
	प्रतिशत				**99.24**	**100**	**99.32**

2.5.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल 128.82 लाख की राशि शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग को प्रदान की गयी थी जिसके विरूद्ध 127.95 लाख की राशि का व्यय किया गया जो कुल व्यय का 99.32 प्रतिशत है अर्थात् राशि का समुचित उपयोग किया गया।

2.5.3 तालिका का और विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित राशि के विरूद्ध कुल राशि का 99.24 प्रतिशत उपयोग किया गया जबकि संस्कृत शिक्षा द्वारा शत प्रतिशत उपयोग किया गया।

2.6.0 चयनित जिलों में योजनान्तर्गत की गयी वित्तीय प्रगति का विवरण :

2.6.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये जिलों को आवंटित राशि व व्यय का वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	अजमेर	1.00	1.00	–	–	2.28	2.28	2.00	2.00	5.28	5.28
2.	उदयपुर	1.00	1.00	0.780	0.780	3.05	3.05	1.98	1.98	6.81	6.81
3.	जयपुर	0.50	0.50	0.52	0.52	0.53	0.53	0.78	0.78	2.33	2.33
4.	जोधपुर	0.44	0.44	0.45	0.45	0.66	0.66	0.55	0.55	2.10	2.10
	योग	**2.94**	**2.94**	**1.75**	**1.75**	**6.52**	**6.52**	**5.31**	**5.31**	**16.52**	**16.52**
											100

2.6.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों को कुल रूपये 16.52 लाख आवंटित किये गये थे जिसके विरूद्ध शत प्रतिशत व्यय किये गये।

2.7.0 भौतिक प्रगति :

2.7.1 चयनित जिलों में योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा की भौतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	100	100	–	–	198	198	164	164	462	462
2.	उदयपुर	100	100	78	78	265	265	201	201	644	644
3.	जयपुर	50	50	52	52	46	46	65	65	213	213
4.	जोधपुर	46	46	44	44	58	58	41	41	189	189
	योग	**296**	**296**	**174**	**174**	**567**	**567**	**471**	**471**	**1508**	**1508**

2.7.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा द्वारा कुल 1508 छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी गयी।

2.7.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त प्रलेख सूचना का विश्लेषण निम्न मदों में दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2003–04	–	16496
2.	2004–05	–	22125
3.	2005–06	–	27557
4.	2006–07	–	30476
	योग	**–**	**96654**

2.7.4 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के 96654 बच्चों को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जबकि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

2.8.0 विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति राशि का विवरण–

2.8.1 शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति

क्र.सं	शैक्षणिक सत्र	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान
1.	कक्षा 1 से 5 तक	40	550	40	550	40	550	40	550
2.	कक्षा 6 से 8 तक	60	550	60	550	60	550	60	550
3.	कक्षा 9 से 10 तक	75	550	75	550	75	550	75	550

2.8.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक के वर्ष में क्रमशः कक्षा एक से कक्षा पाँच तक 40/–प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं राशि 550/– तदर्थ अनुदान प्रतिमाह दिया गया, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक राशि 60/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं राशि 550/– तदर्थ अनुदान दिया गया, कक्षा 9 से 10 तक क छात्रों को 75/– छात्रवृत्ति एवं 550/– तदर्थ अनुदान दिया गया अर्थात् योजना में निहित मानदण्ड़ानुसार छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान दिया जाना दर्शाया है।

2.9.0 शैक्षणिक सत्र के दौरान प्राप्त राशि का विवरण :

2.9.1 अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों छात्रवृत्ति की शैक्षणिक सत्र के दौरान मांग की गई राशि (केन्द्र + राज्य) एवं शैक्षणिक सत्र के दौरान प्राप्त राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	शैक्षणिक सत्र हेतु मांग राशि	शैक्षणिक सत्र के दौरान प्राप्त राशि	प्रतिशत
1.	2003–04	505.38	294.00	58.17
2.	2004–05	478.55	273.00	57.05
3.	2005–06	502.09	247.00	49.19
4.	2006–07	623.04	246.00	39.48
	योग	**2109.06**	**1060.00**	**50.25**

2.9.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कुल मांग राशि 2109.06 लाख रूपये के विरूद्ध रूपये राशि 1060 (50.25 प्रतिशत) लाख रूपये प्राप्त हुई जो मांग के विरूद्ध आधी राशि है तथा वर्ष 2003–04 में मांग राशि 505.38 लाख रूपयें विरूद्ध 294.00(58.17 प्रतिशत) लाख रूपये, 2004–05 में 478.55 लाख रूपये मांग राशि के विरूद्ध 273.00(57.05 प्रतिशत) लाख रूपये, 2005–06 में मांग राशि 502.09 लाख रूपये के विरूद्ध 247.00(49.19 प्रतिशत) लाख रूपये तथा वर्ष 2006–07 में मांग राशि 623.04 लाख रूपये के विरूद्ध 246.00(39.48 प्रतिशत) लाख रूपये प्राप्त हुऐं हैं। जिसका प्रतिशत उत्तरोत्तर घटता जा रहा है। इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

2.10.0 **स्वच्छकार छात्रावासों में आंवटित विद्यार्थी को देय छात्रवृत्ति का विवरण :**

2.10.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासीत छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं	शैक्षणिक सत्र	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		प्रतिमाह छात्रवृत्ति	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह छात्रवृत्ति	तदर्थ अनुदान	प्रतिमाह छात्रवृत्ति	तदर्थ अनुदान
1.	कक्षा 3 से 8 तक	300	600	300	600	300	600	300	600
2.	कक्षा 9 से 10 तक	375	600	375	600	375	600	375	600

2.10.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासीत छात्रों में से कक्षा 3 से 8 तक छात्रों को रूपये 300 प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं राशि 600/– तदर्थ अनुदान वार्षिक दिया जाना बताया है।

2.11.0 **छात्रवृत्ति प्राप्त राशि के स्त्रोत का विवरण :**

2.11.1 अस्वच्छ परिवार के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति के स्त्रोत की जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. स.	वर्ष	मांग राशि			प्राप्त राशि		
		राज्य सरकार से	केन्द्र सरकार से	योग	राज्य सरकार से	केन्द्र सरकार से	योग
1.	2003–04	385.51	119.87	505.38	160.00	134.00	294.00
2.	2004–05	372.095	106.46	478.55	200.00	73.00	273.00
3.	2005–06	383.86	118.23	502.09	200.00	47.00	247.00
4.	2006–07	444.34	178.70	623.04	200.00	46.00	246.00
	योग	**1585.805**	**523.26**	**2109.06**	**760.00**	**300.00**	**1060**
	प्रतिशत	**75.19**	**24.81**		**71.70**	**28.30**	

2.11.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार से 1585.805 लाख राशि एवं केन्द्र सरकार से 523.26 की राशि अर्थात् कुल 2109.06 लाख की राशि प्राप्त होनी थी। इस राशि में से राज्य सरकार से राशि का हिस्सा 75.19 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार का हिस्सा 24.81 प्रतिशत की मांग की गयी थी जिसके विरूद्ध राज्य सरकार से राशि 760.00 लाख (71.70 प्रतिशत) एवं केन्द्र सरकार से रूपये 300.00 लाख रूपयें (28.30 प्रतिशत) राशि प्राप्त हुई अर्थात् योजना में निहित 50: 50 के हिस्से की अधिक का हिस्सा राशि प्राप्त हुई।

2.12.0 **वित्तीय प्रगति का विवरण :**

2.12.1 योजनान्तर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय
1.	2003–04	294.00	284.00
2.	2004–05	273.00	206.00
3.	2005–06	247.00	276.00
4.	2006–07	246.00	301.00
	योग	**1060**	**1067**
	प्रतिशत		**100.66**

(i) उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजना हेतु कुल 1060.00 लाख की राशि का प्रावधान था जिसके विरूद्ध राशि 1067.00 लाख की राशि व्यय की गयी जो 100.66 प्रतिशत है अर्थात् प्राप्त राशि से 0.66 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया। सर्वेक्षण के दौरान जानकारी दी गयी कि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली राशि मांग की तुलना में कम प्राप्त हुई। जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होकर वित्तीय संसाधन है।

(ii) छात्रवृत्ति योजना के प्रसार के संबंध में शिक्षण संस्थाओं को समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते है तथा विभागीय योजनाओं की मार्ग दर्शिका में इसके संबंध में अंकित कर विवरण दिया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति योजना की विज्ञप्ति जारी कर प्रत्येक वर्ष सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के प्रस्ताव आमन्त्रित करता है। संस्कृत शिक्षा में योजना का प्रचार प्रसार संस्था प्रधान तथा अभिभावकों व छात्र/छात्राओं के माध्यम से किया जाता है।

(iii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उप निदेशक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग मुख्यालय की योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं एक मुश्त राशि स्वीकृत करने हेतु मांग अनुसार राशि आवंटित की जाती है। शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा बिल से राशि आहरित कर ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को राशि वितरित की जाती है।

(iv) योजनान्तर्गत पर्यवेक्षण एवं निगरानी के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शिक्षा विभाग एवं संस्कृत विभाग एवं उप निदेशक छात्रावास को बजट उपरान्त लाभान्वित करने हेतु समय–समय पर निर्देशित किया जाता है । जिला शिक्षा विभाग द्वारा राशि वितरण के पश्चात व्यय विवरण प्राप्त किया जाता है। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति वितरण कर रसीद प्राप्त की जाती है।

(v) सर्वेक्षण में बताया गया कि आवेदन पत्र जुलाई से अगस्त माह में प्राप्त किये जाते है एवं स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा बजट प्राप्त होते ही बिना किसी विलम्ब के जारी कर दी जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अक्टूबर, नवम्बर में स्वीकृति जारी की जाती है। राशि का वितरण अक्टूबर, नवम्बर माह में कर दिया जाता है। शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से राशि प्राप्त होते ही बिना किसी विलम्ब के राशि को छात्रों में वितरित कर दिया जाता है।

2.13.0 चयनित विद्यालयों का विवरण :

2.13.1 अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना के अध्ययन हेतु चयनित किये विद्यालय का विवरण निम्न मदों में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों का प्रकार					
				शहरी	ग्रामीण	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	सीनियर सैकण्डरी
1.	अजमेर	अराई, भिनाय	5	2	3	–	4	–	1
2.	उदयपुर	खैरवाड़ा, झाड़ोल	6	3	3	1	1	3	1
3.	जयपुर	चाकसू, झोटवाड़ा, जमवारामगढ़	5	2	3	1	2	2	–
4.	जोधपुर	जोधपुर	2	2	–	–	1	–	1
	योग		**18**	**9**	**9**	**2**	**8**	**5**	**3**
	प्रतिशत			**50.00**	**50.00**	**11.11**	**44.44**	**27.78**	**16.67**

2.13.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयनित 18 विद्यालयों में से 9(50.00 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र के एवं 9(50.00 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र के थे। उक्त चयनित 18 विद्यालयों में से क्रमशः 2(11.11 प्रतिशत) प्राथमिक विद्यालय, 8(44.44 प्रतिशत) उच्च प्राथमिक, 5(27.78 प्रतिशत) माध्यमिक एवं 3(16.67 प्रतिशत) सीनियर सैकण्डरी विद्यालय थे। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु अधिकतम उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अधिकतम चयन किया गया।

2.14.0 चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण :–

2.14.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित विद्यालयों की संख्या	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक के विद्यार्थी			अस्वच्छ परिवारों के अध्ययनरत विद्यार्थी		
			छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
1.	अजमेर	5	4833	2413	7246	351	231	582
2.	उदयपुर	6	4473	2733	7206	226	142	368
3.	जयपुर	5	2369	1739	4108	497	422	919
4.	जोधपुर	2	648	476	1124	83	13	96
	योग	**18**	**12323**	**7361**	**19684**	**1157**	**808**	**1965**
	प्रतिशत		**62.60**	**37.40**		**5.88**	**4.10**	**9.98**

2.14.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में चयनित 18 विद्यालयों में कुल 19684 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिसमें से छात्र 12323 (62.60 प्रतिशत) एवं छात्राऐं 7361(37.40 प्रतिशत) थी। कुल अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से अस्वच्छ परिवारों के छात्र 1157(5.88 प्रतिशत) एवं छात्राऐं 808 (4.10 प्रतिशत) थे, अर्थात् कुल 9.98 प्रतिशत अस्वच्छ परिवारों के छात्र/छात्राओं द्वारा विद्यालय में अध्ययन किया जा रहा था। अतः कुल अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं में से अस्वच्छ परिवारों के बच्चों का प्रतिशत 9.98 रहा है, जो बहुत कम है।

2.15.0 लाभान्वितों का विवरण :

2.15.1 योजनान्तर्गत कक्षावार लाभान्वितों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	विद्यालयों की संख्या	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की प्रगति											
			कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक			कक्षा 9 से 10 तक			कुल योग		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	अजमेर	5	311	162	473	1	18	19	–	–	–	312	180	492
2.	उदयपुर	6	14	14	28	26	34	60	13	12	25	53	60	113
3.	जयपुर	5	147	170	317	101	62	163	17	3	20	265	235	500
4.	जोधपुर	2	–	–	–	11	13	24	92	–	92	103	13	116
	योग	**18**	**472**	**346**	**818**	**139**	**127**	**266**	**122**	**15**	**137**	**733**	**488**	**1221**
	प्रतिशत				**66.99**			**21.79**			**11.22**			

2.15.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल 1221 छात्र/छात्राओं को योजना से लाभान्वित किया गया, जिसमें से क्रमशः कक्षा 1 से 5 तक के 818 (66.99 प्रतिशत) छात्र/छात्राऐं, कक्षा 6 से 8 तक के 266 (21.79 प्रतिशत) एवं कक्षा 9 से 10 तक के 137(11.22 प्रतिशत) छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2.15.3 तालिका के विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 से 5 तक के लाभान्वित किये गये 818 छात्र/छात्राओं में से 472 छात्र(57.70 प्रतिशत) एवं 346 छात्राओं (42.30 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया।

2.15.4 कक्षा 6 से 8 तक के लाभान्वित किये गये 266 छात्र/छात्राओं में से 139 (52.26 प्रतिशत) छात्र एवं 127(47.74 प्रतिशत) छात्राओं को लाभान्वित किया गया। कक्षा 9 से 10 तक के 137 लाभान्वितों में से 122 (89.05 प्रतिशत) छात्र एवं 15 (10.95 प्रतिशत) छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2.15.5 अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत छात्रों को लाभान्वित करने का प्रतिशत अधिक है जबकि छात्राओं का प्रतिशत कम है।

2.16.0 **प्राप्त आवेदन पत्र, स्वीकृत एवं लाभान्वितों का विवरण :**

2.16.1 चयनित जिलों में लाभ हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, स्वीकृत आवेदन पत्र एवं लाभान्वित विद्यार्थियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	विद्यालयों की संख्या	वर्ष 2003–04 से 2006–07 की प्रगति का विवरण		
			नवीन एवं नवीनीकरण किये गये आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1.	अजमेर	5	472	470	470
2.	उदयपुर	6	136	113	113
3.	जयपुर	5	837	500	489
4.	जोधपुर	2	116	116	116
	योग	**18**	**1561**	**1199**	**1188**
	प्रतिशत			**76.80**	**76.10**

2.16.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में अस्वच्छ परिवारों के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु 1561 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 1199 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये, जो 76.80 प्रतिशत है। स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों में से 1188(76.10 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अस्वच्छ परिवारों के विद्यार्थियों को समुचित रूप से लाभान्वित किया गया। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कम स्वीकृत किये गये, के कारणों की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसके अन्तर्गत अस्वच्छ परिवारों के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए। विद्यालय में बजट नहीं आने से विभागीय छात्रवृत्ति का भुगतान योजना में नहीं किया जाना बताया गया।

2.16.3 सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों से कम स्वीकृत किये गये आवेदन पत्र के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि अस्वच्छ परिवारों के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र कम प्राप्त होने के कारण व शिक्षा विभाग से कम राशि प्राप्त होने के कारण, छात्रवृत्ति नहीं मिली। छात्र छात्रावास में आवासीत थे, परन्तु विद्यालय को बजट प्राप्त नहीं होने से विभागीय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया गया।

2.17.0 **आवेदन पत्र प्राप्त होने के समय के बारे में जानकारी :**

2.17.1 सर्वेक्षण के दौरान चयनित 18 विद्यालयों में से क्रमशः 6(33.33 प्रतिशत) ने बताया कि जुलाई में, 4(22.22 प्रतिशत) ने जुलाई–अगस्त एवं 5(27.78 प्रतिशत) ने अगस्त व 3(16.67 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

2.18.0 **पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी :**

2.18.1 सर्वेक्षण के दौरान जानकारी दी गयी कि पात्रता की संतुष्टि के लिए अस्वच्छ कार्य करने का प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र/अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र, आय का प्रमाण–पत्र, अंक तालिका, परिवार का राशन कार्ड प्रवेश के समय लिए जाते हैं।

2.19.0 **छात्रवृत्ति स्वीकृति का समय :**

2.19.1 चयनित 18 विद्यालयों में से क्रमशः 2(11.11 प्रतिशत) ने फरवरी–मार्च, 7 (38.88 प्रतिशत) ने मार्च–अप्रेल एवं 1–1 (5.56 प्रतिशत) ने जनवरी–फरवरी, अप्रेल–मई, जून–जुलाई व अक्टूबर–नवम्बर में स्वीकृत होना बताया। शेष 5(27.77 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

2.20.0 **छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में स्वीकृति :**

2.20.1 अध्ययन हेतु चयनित 18 विद्यालयों में से 13(72.22 प्रतिशत) ने एक माह में, 1(5.56 प्रतिशत) ने दो माह में छात्रवृत्ति को वितरण किया जाना बताया तथा शेष 4(22.22 प्रतिशत) ने इस संबंध में उत्तर नहीं दिया। अतः स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति का वितरण स्वीकृति प्राप्त होने के एक माह में हो जाता है। चयनित 18 विद्यालयों में छात्रवृत्ति की राशि के वितरण के बारे में पूछे जाने पर 8(44.44 प्रतिशत) ने विद्यार्थी को, 1(5.56 प्रतिशत) ने अभिभावक को, शेष 6(33.33 प्रतिशत) ने दोनों को वितरित किया जाना बताया तथा 3(16.67 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। अतः स्पष्ट है कि छात्र एवं अभिभावक दोनों को एक मुश्त छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

2.20.2 सर्वेक्षण के दौरान चयनित 18 विद्यालयों में से 11(61.11 प्रतिशत) ने एक मुश्त तदर्थ अनुदान उपलब्ध करवाना बताया तथा 1 (5.56 प्रतिशत) विद्यालय मे मासिक भुगतान किया जाना तथा 6(33.33 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी प्रकार छात्रवृत्ति का भुगतान भी 18 विद्यालय में से 13 (72.22 प्रतिशत) ने एक मुश्त तथा 1 (5.56 प्रतिशत) ने मासिक भुगतान करना तथा 4 (22.22 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय को छात्रवृत्ति एवं अनुदान की राशि एक मुश्त ही चैक से प्राप्त होती है।

2.21.0 **वित्तीय प्रगति :**

2.21.1 चयनित विद्यालयों द्वारा मांग की गयी कि छात्रवृत्ति, स्वीकृत छात्रवृत्ति, वितरित राशि का वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की वित्तीय प्रगति का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	चयनित विद्यालयों की संख्या	मांग की गई राशि				स्वीकृत राशि			
			छात्रवृत्ति	अनुदान	छात्रवृत्ति + अनुदान	योग	छात्रवृत्ति	अनुदान	छात्रवृत्ति + अनुदान	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	अजमेर	5	1.1420	0.0189	–	1.1600	1.0820	0.0090	–	1.0910
2.	उदयपुर	6	0.2300	0.2595	0.6971	1.1866	0.2044	0.2595	0.6971	1.1610
3.	जयपुर	5	0.9080	0.9920	4.9140	6.8140	0.8700	0.9620	2.9580	4.7900
4.	जोधपुर	2	0.0425	–	–	0.0425	0.0405	–	–	0.0405
	योग	**18**	**2.3225**	**1.2704**	**5.6111**	**9.2031**	**2.1969**	**1.2305**	**3.6551**	**7.0825**
	प्रतिशत									**(76.95)**

क्र. सं.	जिला	विद्यालयों की संख्या	प्राप्त राशि				वितरित राशि			
			छात्रवृत्ति	अनुदान	छात्रवृत्ति + अनुदान	योग	छात्रवृत्ति	अनुदान	छात्रवृत्ति + अनुदान	योग
			12	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.	अजमेर	5	1.0820	0.0090	–	1.0910	1.0820	0.0090	–	1.091
2.	उदयपुर	6	0.2044	0.2595	0.6971	1.1610	0.2044	0.2595	0.6881	1.152
3.	जयपुर	5	0.8700	0.9420	2.9580	4.7700	0.8700	0.9420	2.9510	4.763
4.	जोधपुर	2	0.0405	–	–	0.0405	0.0405	–	–	0.0405
	योग	**18**	**2.1969**	**1.2105**	**3.6551**	**7.0625**	**2.1969**	**1.2105**	**3.6391**	**7.0465**
	प्रतिशत					**(99.72)**				**(99.77)**

2.21.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु चयनित विद्यालय द्वारा कुल 9.2031 लाख रूपये मांग की गयी थी, जिसमें अनुदान व छात्रवृत्ति दोनों सम्मिलित है। जिसके विरूद्ध कुल 7.0825 लाख की राशि स्वीकृत हुई जो 76.95 प्रतिशत है और विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि स्वीकृत राशि के विरूद्ध राशि 7.0625 लाख प्राप्त हुई, जो 99.72 प्रतिशत है।

2.21.3 चयनित विद्यालयों को जो राशि प्राप्त हुई उसके विरूद्ध राशि 7.0465 लाख का बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनुदान के रूप में वितरित किया गया जो 99.77 प्रतिशत है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राशि का पूर्ण उपयोग किया गया तथा विद्यालयों को मांग अनुसार ही राशि प्राप्त हो रही है तथा राशि का विवरण भी विद्यार्थियों को अनुदान एवं छात्रवृत्ति के रूप में हाने से विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है।

2.21.4 तालिका का और विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कुल मांग की गयी राशि में से चयनित 18 विद्यालयों में से 4(22.22 प्रतिशत) ने अनुदान व छात्रवृत्ति दोनों को को सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। जो स्वीकृत मांग राशि 5.6111 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि 3.6551 (65.14 प्रतिशत) स्वीकृत हुई एवं शत–प्रतिशत स्वीकृत राशि प्राप्त हुई व राशि 3.6391 लाख (99.56 प्रतिशत) वितरित की गयी।

2.21.5 तालिका के और विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि विद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान राशि तथा पृथक – पृथक रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है । इस संबंध में विभाग को विद्यालयों को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है कि मांग राशि, स्वीकृत राशि, प्राप्त राशि एवं वितरण की गई राशि के छात्रवृत्ति एवं अनुदान से संबंधित रिकार्ड को पृथक–पृथक रखा जावे।

2.22.0 **राशि की उपलब्धता** :

2.22.1 शैक्षणिक सत्र 2005–06 में छात्रवृत्ति एवं अनुदान हेतु भिजवाए गये आवेदन पत्रों एवं प्राप्त राशि के समय सम्बन्धी विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	विद्यालयों की संख्या	छात्रवृत्ति				अनुदान			
			जुलाई	अगस्त	अक्टूबर	अनुत्तरित	जुलाई	अगस्त	अक्टूबर	अनुत्तरित
1.	अजमेर	5	3	1	–	1	–	–	–	5
2.	उदयपुर	6	1	2	1	2	1	2	1	2
3.	जयपुर	5	2	3	–	–	2	3	–	–
4.	जोधपुर	2	–	–	–	2	–	–	–	2
	योग	**18**	6	6	1	5	3	5	1	9
	प्रतिशत		**33.33**	**33.33**	**5.56**	**27.78**	**16.66**	**27.78**	**5.56**	**50.00**

2.22.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 में चयनित 18 विद्यालयों में से 6(33.33 प्रतिशत) ने जुलाई में छात्रवृत्ति मिलना, 6(33.33 प्रतिशत) ने अगस्त माह में वे 1 (5.56 प्रतिशत) ने अक्टूबर माह में छात्रवृत्ति की राशि मिलना बताया तथा 5(27.78 प्रतिशत) विद्यालयों द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.22.3 इसी प्रकार अनुदान की राशि की प्राप्ति के संबंध में 18 विद्यालयों में से 3(16.66 प्रतिशत) ने जुलाई माह में 5(27.78 प्रतिशत) ने अगस्त माह में 1(85.56 प्रतिशत) ने अक्टूबर माह में प्राप्त होना एवं 9(50.00प्रतिशत) ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

2.22.4 शैक्षणिक सत्र 2006–07 में छात्रवृत्ति हेतु भिजवाये गये आवेदन पत्रों एवं प्राप्त राशि के समय संबंधी विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	विद्यालयों की संख्या	छात्रवृत्ति			अनुदान		
			जुलाई	अगस्त	अनुत्तरित	जुलाई	अगस्त	अनुत्तरित
1.	अजमेर	5	1	3	1	–	–	5
2.	उदयपुर	6	1	2	3	1	2	3
3.	जयपुर	5	2	3	–	2	3	–
4.	जोधपुर	2	–	–	2	–	–	2
	योग	**18**	**4**	**8**	**6**	**3**	**5**	**10**
	प्रतिशत		**22.22**	**44.45**	**33.33**	**16.67**	**27.78**	**55.55**

2.22.5 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 18 विद्यालयों में से 4(22.22 प्रतिशत) ने जुलाई में छात्रवृत्ति मिलना, 8(44.44 प्रतिशत) ने अगस्त माह में प्राप्त होना एवं शेष 6 (33.33 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

2.22.6 अनुदान प्राप्त होने के सम्बन्ध में चयनित विद्यालयों में से 3(16.67 प्रतिशत) ने जुलाई में, 5(27.78 प्रतिशत) ने अगस्त में प्राप्त होना व्यक्त किया। शेष 10(55.55 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

2.22.7 अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्यालयों को छात्रवृत्ति एवं अनुदान राशि अगले वर्ष के जुलाई एवं अगस्त माह में प्राप्त होती है। जिससे विद्यार्थियों को पूर्ण शैक्षिणक सत्र में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा उसी शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति दिलवाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

2.23.0 राशि उपलब्धता का विवरण :

2.23.1राशि की उपलब्धता का एवं वितरण का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिला	विद्यालयों की संख्या	प्राप्त राशि	वितरित राशि
			वर्ष 2005–06 से 2006–07 तक	वर्ष 2005–06 से 2006–07 तक
1.	अजमेर	5	0.2772	0.2296
2.	उदयपुर	6	0.9329	0.9134
3.	जयपुर	5	3.87	3.87
4.	जोधपुर	2	0.0075	0.0075
	योग	**18**	**5.0876**	**5.0205**
	प्रतिशत			**98.68**

2.23.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में अध्ययन हेतु चयनित 18 विद्यालयों को राशि 5.0876 लाख प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध राशि 5.0205 लाख वितरित की गयी, जो 98.68 प्रतिशत है।

2.24.0 चयनित स्वच्छकार छात्रावासों का विवरण :

2.24.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये छात्रावासों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	छात्रावासों की संख्या	छात्रावास प्रारम्भ का वर्ष						छात्रावास का प्रकार			
			1971–72	1981	1982	1986	1997	योग	बालक	बालिकाऐं	शहरी	ग्रामीण
1.	अजमेर	2	–	1	–	–	1	2	2	–	1	1
2.	उदयपुर	2	–	–	2	–	–	2	2	–	2	–
3.	जयपुर	2	1	–	–	1	–	2	1	1	1	1
4.	जोधपुर	2	–	2	–	–	–	2	1	1	2	–
	योग	**8**	1	3	2	1	1	8	6	2	6	2
	प्रतिशत		**12.50**	**37.50**	**25.00**	**12.50**	**12.50**	**100.0**	**75.00**	**25.00**	**75.0**	**25.0**

2.24.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 8 छात्रावासों में से 1(12.50 प्रतिशत) 1971–72 से संचालित है। 3(37.50 प्रतिशत) 1981 से संचालित है तथा 2(25.00 प्रतिशत) 1982 से संचालित है एवं 1–1(12.50 प्रतिशत) क्रमशः 1986 व 1997 से संचालित है। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन हेतु सबसे अधिक 1981 से संचालित छात्रावासों को लिया गया है। चयनित छात्रावासों में से 6(75.00 प्रतिशत) बालक के एवं 2(25.00 प्रतिशत) बालिका छात्रावास का अध्ययन हेतु चयन किया गया। चयनित किये गये छात्रावासों में से 6 (75.00 प्रतिशत) शहरी एवं 2(25.00 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र के छात्रावासों का चयन किया गया।

2.25.0 अनुदान से लाभान्वितों का विवरण :

2.25.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	जिला	छात्रावासों की संख्या	प्रवेशित क्षमता	आवासीत विद्यार्थी			अनुदान प्राप्त विद्यार्थी		
				छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	अजमेर	2	200	196	–	196	168	–	168
2.	उदयपुर	2	280	152	–	152	152	–	152
3.	जयपुर	2	240	140	44	184	134	25	159
4.	जोधपुर	2	280	85	103	188	85	103	188
	योग	**8**	1000	573	147	720	539	128	667
	प्रतिशत			**57.30**	**14.70**	**72.00**	**94.06**	**87.07**	**92.64**

2.25.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित छात्रावासों में कुल प्रवेश क्षमता 1000 के विरूद्ध 573(57.30 प्रतिशत) छात्र एवं 147(14.70 प्रतिशत) छात्राओं ने प्रवेश लिया अर्थात् कुल 720 छात्र/छात्राओं ने प्रवेश लिया जो 72.00 प्रतिशत है। प्रवेशित 573 छात्रों में से 539 छात्रों द्वारा अनुदान प्राप्त किया गया जो 94.06 प्रतिशत है व प्रवेशित 147 छात्राओं में से 128 (87.07 प्रतिशत) छात्राओं ने अनुदान प्राप्त किया। इस प्रकार छात्रावास में आवासीत 720 विद्यार्थियों में से 667 (92.64 प्रतिशत) छात्र/छात्राओं ने तदर्थ अनुदान राशि प्राप्त की अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनुदान प्राप्त करने में छात्रावासों में रह रहे छात्र/छात्राओं को तदर्थ अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।

2.26.0 **शैक्षणिक कक्षावार प्रगति :**

2.26.1 चयनित छात्रावासों में आवासीत छात्रों की शैक्षणिक कक्षावार प्रगति वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की निम्न तालिका में दर्शायी जा रही है :–

क्र. सं.	जिला	छात्रावासों की संख्या	कक्षा 1 से 2 तक		कक्षा 3 से 5 तक		कक्षा 6 से 8 तक		कक्षा 9 से 10 तक		योग	
			आवा–सित छात्र	लाभा–न्वित छात्र	आवा–सित छात्र	लाभा–न्वित छात्र	आवा–सित छात्र	लाभा–न्वित छात्र	आवा–सित छात्र	लाभा–न्वित छात्र	आवा–सित छात्र	लाभा–न्वित छात्र
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	अजमेर	2	–	–	–	–	64	51	100	81	164	132
2.	उदयपुर	2	–	–	–	–	95	95	57	57	152	152
3.	जयपुर	2	5	3	9	5	72	62	51	44	137	114
4.	जोधपुर	2	–	–	26	26	84	84	78	78	188	188
	योग	**8**	5	3	35	31	315	292	286	260	641	586
	प्रतिशत			**60.00**		**88.57**		**92.70**		**90.91**		**91.42**

2.26.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित छात्रावासों में कुल आवासित 641 छात्र के विरूद्ध 586(91.42 प्रतिशत) छात्र/छात्राओं को लाभान्वित कर तदर्थ अनुदान दिया गया। कक्षावार विश्लेषण करने से क्रमशः स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 से 2 तक के आवासित 5 छात्र के विरूद्ध 3(60.00 प्रतिशत) को लाभान्वित किया, कक्षा 3 से 5 तक 35 आवासित छात्र/छात्राओं के विरूद्ध 31(88.57 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया। कक्षा 6 से 8 तक के 315 छात्र/छात्राओं के विरूद्ध 292(92.70 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार कक्षा 9 से 10 तक के 286 छात्र/छात्राओं के विपरीत 260 (90.91 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कक्षा 6 से 8 तक एवं कक्षा 9 से 10 तक के छात्र/छात्राऐं अधिक लाभान्वित हुई हैं एवं तदर्थ अनुदान दिया गया है।

2.27.0 **आवेदन पत्र एवं लाभान्वित का विवरण :**

2.27.1 छात्रावास में प्राप्त आवेदन पत्र एवं स्वीकृत आवेदन पत्र एवं लाभान्वितों के वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	जिला	छात्रावासों की संख्या	नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	लाभान्वितों की संख्या
1.	अजमेर	2	194	168	168
2.	उदयपुर	2	152	152	152
3.	जयपुर	2	184	169	159
4.	जोधपुर	2	188	188	188
	योग	**8**	**718**	**677**	**667**
	प्रतिशत			**94.29**	**98.52**

2.27.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों के चयनित 8 छात्रावासों हेतु 718 आवेदन पत्र नवीनीकरण हेतु प्राप्त हुए थे जिसमें से 677 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये जो 94.29 प्रतिशत है। स्वीकृत आवेदन पत्रों में से 667(98.52 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वच्छकार छात्रावासों के छात्रों को इस छात्रवृत्ति (तदर्थ अनुदान) का पात्र माना जाता है, पृथक से कोई आवेदन नहीं लिया जाता। वर्ष 2005–06, 2006–07 में भिजवाये गये आवेदन पत्रों की स्वीकृति विभाग से प्राप्त नहीं हुई कुछ छात्र मध्य सत्र में छात्रावास छोड़ गये।

2.27.3 सर्वेक्षण में स्वीकृत आवेदन पत्रों में से कम लाभान्वित किये गये, के कारण के अन्तर्गत स्वच्छकार छात्रावासों में प्रवेशित सभी छात्र/छात्राओं को तदर्थ अनुदान 500 रूपये प्रति छात्र एक मुश्त दी गई तथा वर्ष 2005–06 व 2006–07 में मांग की गई राशि विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण दो वर्षों से कुछ छात्रों को लाभान्वित नहीं कराया जा सका।

2.27.4 सर्वेक्षण में पाया गया कि आवेदन पत्र फरवरी, मई, जुलाई, अगस्त में तैयार करवाये जाते है। तैयार आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, सरपंच का प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, अस्वच्छ कार्य करने का प्रमाण पत्र, पूर्व कक्षा की अंक तालिका, राशन कार्ड की प्रति, आय प्रमाण पत्र, स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी साथ में लिये जाते हैं तथा स्वच्छकार छात्रावास में प्रवेशित सभी छात्रों को इस छात्रवृत्ति (तदर्थ अनुदान राशि 500 रूपये वार्षिक) का पात्र माना जाता है।

2.27.5 छात्रवृत्ति फरवरी से अप्रेल के मध्य स्वीकृत की जाती है एवं तदर्थ अनुदान व छात्रवृत्ति फरवरी, अप्रेल में स्वीकृत कर वितरित कर दी जाती है।

2.28.0 **छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का विवरण :**

2.28.1 सर्वेक्षण में पाया गया कि चयनित 8 छात्रावासों में से 7(87.50 प्रतिशत) ने बताया कि विद्यार्थी को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। शेष 1(12.50 प्रतिशत) ने बताया कि अभिभावक को उपलब्ध करायी जाती है। शत– प्रतिशत ने मत व्यक्त किया कि एक मुश्त उपलब्ध करायी जाती है।

2.29.0 **वित्तीय प्रगति :**

2.29.1 चयनित छात्रावासों द्वारा मांग की गई, स्वीकृत की गयी, प्राप्त की गई राशि एवं वितरित की गयी राशि का वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिला	छात्रावासों की संख्या	राशि का विवरण			
			मांग की गयी	स्वीकृत की गयी	प्राप्त की गयी	वितरित की गयी
1.	अजमेर	2	0.720	0.720	0.720	0.720
2.	उदयपुर	2	0.760	0.760	0.760	0.760
3.	जयपुर	2	0.884	0.835	0.835	0.795
4.	जोधपुर	2	0.940	0.940	0.940	0.940
	योग	**8**	3.304	3.255	3.255	3.215
	प्रतिशत			**98.52**	**100.0**	**98.77**

2.29.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित छात्रावासों के द्वारा राशि 3.304 लाख की मांग की गयी थी जिसके विपरीत राशि 3.255 लाख स्वीकृत की गयी। जो 98.52 प्रतिशत है। स्वीकृत राशि में से शत–प्रतिशत राशि प्राप्त हुई एवं प्राप्त राशि में से राशि 3.215 लाख वितरित की गयी जो 98.77 प्रतिशत है। राशि के कम वितरण के कारणों के सम्बन्ध में क्रमशः छात्र/छात्राओं के द्वारा सत्र बीच में ही छोड़कर चले जाना रहा है एवं वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में मांग के अनुसार राशि विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराने से दो वर्षों में कुछ छात्राओं को लाभान्वित नहीं किया जाना बताया गया।

2.30.0 **राशि की उपलब्धता का विवरण :**

2.30.1 चयनित जिलों को शैक्षणिक सत्र 2005–06 एवं 2006–07 सत्र हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	छात्रावासों की संख्या	कुल प्राप्त राशि वर्ष 2005–06 + 2006–07	राशि का वितरण 2005–06 + 2006–07
1.	अजमेर	2	0.235	0.235
2.	उदयपुर	2	0.29	0.29
3.	जयपुर	2	0.34	0.165
4.	जोधपुर	2	0.40	0.40
	योग	**8**	**1.265**	**1.09**
	प्रतिशत			**86.17**

2.30.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित छात्रावासों को वर्ष 2005–06 से 2006–07 तक कुल राशि 1.265 लाख प्राप्त हुई थी जिसके विरूद्ध राशि 1.09 लाख वितरित की गयी। सर्वेक्षण में पाया गया कि आवेदन पत्र अधिकांशतः माह जुलाई से अगस्त के मध्य भिजवाये गये।

2.30.3 छात्रावासों को राशि की उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर कुछ छात्रावासों ने जिला कार्यालय से राशि समय पर नहीं मिलने के कारण राशि का वितरण छात्रों को समय पर नहीं किया जाना बताया है। अतः विभाग द्वारा राशि सत्र के प्रारम्भ में ही छात्रावासों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवानी चाहिए।

———

अध्याय तृतीय

अध्ययन के परिणाम

3.1 प्रतिदर्श विवरण :

3.1.1 मनुष्य के सर्वागींण विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अभाव में मानव का बौद्विक, शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कल्पना निरर्थक एवं बेमानी है। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुदृढ़ नहीं होने का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव ही है। फलस्वरूप उनमें अन्धविश्वास, रूढ़ीवादिता, जड़ता के साथ–साथ अनेक सामाजिक बुराइयाँ जन्म लेने लगती है जिसके कारण वे आर्थिक एवं सामाजिक दौड़ में पीछे छूटते चले जाते हैं।

3.1.2 समाज में अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों जिनमें शुष्क शौचालयों की सफाई करने वाले, चर्म शोधन का कार्य करने वाले एवं चमड़ा उतारने वाले तथा परम्परागत रूप से सफाई कार्य में जुड़े हुए व्यक्तियों के बच्चों में शिक्षा के प्रति जुड़ाव एवं लगाव पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 1992–93 से राज्य में छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक तक की शिक्षा अर्जन करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि समाज में सदियों से दबे एवं मैला ढ़ोने वाले अस्वच्छ कर्मियों के परिवारों के बच्चे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर विकास की मुख्य धारा में अपना स्थान बना सके।

3.1.3 अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत छात्रावासों में आवासित एवं गैर आवासीत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा रही है।

3.2. चयनित प्रतिदर्श का स्वरूप :

3.2.1 अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यशील व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का मूल्यांकन करने हेतु प्रतिवेदन के प्रथम अध्याय में उल्लेखित अध्ययन संरचनानुसार संस्तरित बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति का उपयोग करते हुए राज्य के 50 प्रतिशत संभागों में से 4 संभागों के 4 जिलों यथा– अजमेर, उदयपुर, जयपुर एवं जोधपुर का चयन किया गया एवं प्रतिदर्श के चयन में चयनित जिलों की पंचायत समिति/नगर पालिका के शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर छात्रवृत्ति से लाभान्वितों के चयन स्तर तक साधारण एवं अन्य न्यादर्श प्रणालियों को अपनाया गया है, जिनमें दिवस एवं छात्रावास आवासित प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में अध्ययनरत

विद्यार्थियों को चयन में प्रतिनिधित्व दिया गया है। चयनित प्रतिदर्श का विवरण निम्न प्रकार है :–

			संख्या
1.	चयनित संभाग	–	4
2.	चयनित जिले	–	4
3.	चयनित पंचायत समिति/नगर पालिका	–	11
4.	चयनित दिवस विद्यालय	–	18
5.	स्वच्छकार छात्रावास	–	8
6.	चयनित कुल छात्र/छात्रा	–	205
	(क) दिवस छात्र	–	153
	(ख) आवासित छात्र	–	52
7.	सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारी	–	42

3.2.2 अध्ययन हेतु उपरोक्त चयनित प्रतिदर्श के उत्तरदाताओं से क्षेत्रीय कार्य के दौरान व्यक्तिशः साक्षात्कार कर उनसे योजना के विभिन्न पहलुओं, तथ्यों, सूचनाओं पर गहन विचार–विमर्श उपरान्त की गई जानकारी तथा एकत्रित की गई सूचनाओं के साथ–साथ क्षेत्र कार्य के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किये गये अवलोकन के आधार पर प्राप्त सूचनाओं, तथ्यों एवं समंकों का विश्लेषण कर यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है।

3.3 जाति वर्ग के आधार पर चयनित छात्र/छात्राओं के समूह का विवरण :

3.3.1 अध्ययन हेतु चयनित छात्र/छात्राओं का जिलेवार जातिगत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

चयनित समूह का जातिवार विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित समूह की संख्या								
		स्कूल के विद्यार्थी				आवासित विद्यार्थी(Hosrelers)				
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग
1.	अजमेर	27	–	–	–	28	–	–	–	55 (27%)
2.	जोधपुर	17	–	–	–	4	–	–	–	21 (10%)
3.	उदयपुर	26	–	–	–	13	–	–	–	39 (19%)
4.	जयपुर	83	–	–	–	7	–	–	–	90 (44%)
	कुल उत्तरदाताओं की संख्या	**153 (75%)**	**–**	**–**	**–**	**52 (25%)**	**–**	**–**	**–**	**205 (100%)**

3.3.2 उपरोक्त तालिका के विवरण का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि कुल चयनित 205 (शत–प्रतिशत) उत्तरदाता विद्यार्थी अनुसूचित जाति के हैं, उनमें 153(75 प्रतिशत) दिवस स्कूल के विद्यार्थी एवं 52(25 प्रतिशत) आवासीत अर्थात् होस्टल में निवास करने वाले विद्यार्थी उत्तरदाता हैं। अनुसूचित जाति के अलावा कोई भी उत्तरदाता अन्य जाति से नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को ही मिल रहा है।

3.4 उत्तरदाता परिवारों का व्यवसाय एवं लाभार्थियों की पात्रता का परीक्षण :

3.4.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये विद्यालयों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले दिवस विद्यार्थियों (Day Scholars) के अभिभावकों से उनमें मुख्य एवं गौण व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी करने पर उनसे प्राप्त मुख्य एवं गौण व्यवसाय की सूचनाओं का विवरण पृथक–पृथक तालिकाओं में दर्शाया गया है :–

दिवस विद्यार्थियों के परिवारों का मुख्य व्यवसाय

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित दिवस छात्रों की संख्या (Day Scholars)	मुख्य व्यवसाय का विवरण (संख्या)					
			चर्मशोधन / चर्म कार्य	अस्वच्छ व्यवसाय / परम्परागत कार्य	कृषि कार्य / पशु पालन	मजदूरी	व्यवसाय / धन्धा	नौकरी
1.	अजमेर	27	5	1	1	15	4	1
2.	जोधपुर	17	2	–	–	10	5	–
3.	उदयपुर	26	–	6	18	1	1	–
4.	जयपुर	83	76	7	–	–	–	–
	योग	**153**	**83**	**14**	**19**	**26**	**10**	**1**
	प्रतिशत	**100.0**	**54.24**	**9.15**	**12.42**	**17.00**	**6.54**	**0.65**

दिवस विद्यार्थियों के परिवारों का गौण व्यवसाय

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित दिवस छात्रों की संख्या (Day Scholars)	गौण व्यवसाय का विवरण						
			चर्मशोधन / चर्म कार्य	अस्वच्छ व्यवसाय / परम्परागत कार्य	कृषि कार्य / पशु पालन	मजदूरी	व्यवसाय / धन्धा	नौकरी	निल
1.	अजमेर	27	–	2	2	4	2	1	16
2.	जोधपुर	17	1	–	–	2	1	–	13
3.	उदयपुर	26	19	1	–	–	1	–	5
4.	जयपुर	83	4	–	1	55	9	1	13
	योग	**153**	**24**	**3**	**3**	**61**	**13**	**2**	**47**
	प्रतिशत	**100.0**	**15.69**	**1.96**	**1.96**	**39.87**	**8.50**	**1.30**	**30.72**

3.4.2 उपरोक्त मुख्य एवं गौण व्यवसाय की तालिकाओं में दर्शायी गई सूचनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि :–

(i) दिवस विद्यालयों के चयनित कुल 153 छात्र/छात्राओं के परिवारों में से 97 (63.00 प्रतिशत) परिवारों के व्यक्ति अस्वच्छ व्यवसायों में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय है जिनमें 83(54.24 प्रतिशत) परिवार चर्मशोधन/चर्म कार्य में एवं 14(9.15 प्रतिशत) परिवार अस्वच्छ/परम्परागत कार्य जैसे साफ–सफाई, झाड़ू निकालना आदि कामों में संलग्न है। अतः अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों द्वारा मृत पशुओं का चमड़ा उतारना, चर्म शोधन करना, चमड़े के जूते बनाना, रिपेयरिंग करना, शौचालयों की साफ–सफाई करना, झाड़ू निकालना आदि परम्परागत कार्य किये जा रहे है। शेष 56(37.00 प्रतिशत) परिवारों द्वारा अन्य कार्य जिनमें 19(12.42 प्रतिशत) कृषि, पशुपालन की दुकान, 26(17.00 प्रतिशत) मजदूरी एवं 10(6.54 प्रतिशत) अपना स्वयं का धन्धा जिनमें परचूनी की दुकान, साईकिल मरम्मत, कबाडी, चाय की दुकान, कपड़े सिलाई आदि कार्य कर रहे है तथा 1(0.65 प्रतिशत) परिवार नौकरी कर रहे है। अतः स्पष्ट है कि दिवस विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियों के 63.39 प्रतिशत परिवार ही सक्रिय रूप से अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न है एवं 36.61 प्रतिशत परिवारों के व्यक्ति अन्य कार्यो में संलग्न है। योजनान्तर्गत लक्षित समूह की पात्रता संबंधी मानदण्ड़ों के अनुसार छात्रवृत्ति उन परिवारों के बच्चें को ही देय होती है जिनके परिवार सक्रिय रूप से अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न हो। अतः इन 37.00 प्रतिशत परिवारों के बच्चों की पात्रता के संबंध में दिये गये प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच विभागीय स्तर पर किया जाना अपेक्षित है।

(ii) गौण व्यवसाय में से केवल 27(17.65 प्रतिशत) परिवार ही अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न है शेष 3(1.96 प्रतिशत) कृषि पशुपालन, 61(39.57 प्रतिशत) मजदूरी, 13(8.50 प्रतिशत) अपना स्वयं का धन्धा/व्यवसाय 2(1.30 प्रतिशत) नौकरी कर रहे है तथा 47(30.72 प्रतिशत) परिवारों का कोई गौण व्यवसाय नहीं है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजना के मानदण्ड़ानुसार पात्र छात्र–छात्राओं को ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। इस हेतु समय–समय पर योजना की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए।

3.4.3 अध्ययन हेतु छात्रावासों में आवासीत रहने वाले कुल 52 चयनित छात्रों के परिवारों में से 33(63.46 प्रतिशत) कृषि कार्य, 7(13.46 प्रतिशत) विभिन्न प्रकार की मजदूरी, 10(19.23 प्रतिशत) चर्मशोधन एवं अस्वच्छ परम्परागत व्यवसाय तथा 2(3.85 प्रतिशत) अपना स्वयं का व्यापार एवं सेवा सम्बन्धी कार्य करते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश परिवारों का व्यवसाय कृषि कार्य है जबकि अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न केवल 10 (19.23 प्रतिशत) परिवार ही कार्यरत है।

3.4.4 क्षेत्र कार्य के दौरान चयनित जिलों के 42 कार्यकारियों से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित पात्र विद्यार्थियों को ही मिलती है या नहीं की जानकारी करने पर तत्संबंध में 35(83.34 प्रतिशत) कार्यकारियों ने पात्र विद्यार्थियों से ही छात्रवृत्ति मिलना एवं 5(11.90 प्रतिशत) ने पात्र विद्यार्थियों को नहीं मिलना अवगत करवाया हैं शेष 2(4.76 प्रतिशत) कार्यकारियों ने तत्संबंधी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

3.4.5 जिन 5 कार्यकारियों ने अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलना बताया है उनसे जब यह जानकारी चाही गई कि पात्रता में किन–किन बिन्दुओं का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर संकेत किया है :–

(1) अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करना।
(2) प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु स्वच्छ व्यवसाय में संलग्न होने वाला प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत नहीं करना।

3.5 चयनित अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षावार विवरण :

3.5.1 अध्ययन हेतु दिवस विद्यालयों एवं छात्रावासों में आवासीत अध्ययनरत चयनित समूह के छात्र/छात्रा उत्तरदाता किस कक्षा में अध्ययनरत है की जानकारी करने पर उनसे प्राप्त सूचनाओं का विवरण निम्न सारणी में उपदर्शित किया गया है :–

चयनित विद्यार्थियों का कक्षावार विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित दिवस छात्रों की संख्या	दिवस विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या			छात्रावासों में आवासीत छात्रों की संख्या			
			प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	चयनित छात्रों की संख्या	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1.	अजमेर	27	17	10	–	28	4	20	4
2.	जोधपुर	17	10	7	–	4	3	1	–
3.	उदयपुर	26	4	11	11	13	7	6	–
4.	जयपुर	83	36	41	6	7	–	4	3
	योग	**153**	67	69	17	52	14	31	7
	प्रतिशत	**100.0**	**43.79**	**45.10**	**11.11**	**100.0**	**26.92**	**59.62**	**13.46**

3.5.2 उपरोक्त सारणी में वर्णित जानकारी के अनुसार दिवस विद्यालयों में चयनित कुल 153 उत्तरदाताओं में से 67(43.79 प्रतिशत) उत्तरदाता विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 अर्थात् प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं में 69(45.10 प्रतिशत) कक्षा 6 से 8 में उच्च प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं में तथा 17(11.11 प्रतिशत) उत्तरदाता विद्यार्थी कक्षा 9 से 10 तक की माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में अध्ययनरत है। उपरोक्त समंकों से स्पष्ट होता है कि दिवस विद्यालयों में सर्वाधिक 69(45.10 प्रतिशत) उत्तरदाता कक्षा 6 से 8 तक के स्तर के विद्यार्थी हैं।

3.5.3 छात्रावासों में आवासीत चयनित कुल 52 उत्तरदाताओं में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में 14(26.92 प्रतिशत) कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में, 31(59.62 प्रतिशत) उत्तरदाता विद्यार्थी कक्षा 9 से 10 तक की कक्षाओं में तथा 7(13.46 प्रतिशत) उत्तरदाता विद्यार्थी कक्षा 11 से 12 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत है। इससे स्पष्ट है कि छात्रावासों में निवास करने वाले सर्वाधिक उत्तरदाता कक्षा 9 से 10 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत है।

3.6. चयनित उत्तरदाता विद्यार्थियों का ग्राम :

3.6.1 दिवस विद्यालयों में अध्ययनरत उत्तरदाता विद्यार्थियों के ग्राम की जानकारी करने पर चयनित 153 उत्तरदाता विद्यार्थियों के अभिभावकों में से 152 (99.35 प्रतिशत) उत्तरदाता विद्यार्थी विद्यालय ग्राम के ही निवासी होना एवं 1(0.65 प्रतिशत) उत्तरदाता ने दूसरे ग्राम का होना अवगत करवाया है। इन 1(0.65 प्रतिशत) उत्तरदाता विद्यार्थी से उनके मूल निवास से विद्यालय की दूरी की जानकारी करने पर उसने 250 कि.मी. की दूरी होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि दिवस विद्यालयों में 99.35 प्रतिशत उत्तरदाता विद्यार्थी विद्यालय ग्राम के ही निवासी है एवं अपवाद स्वरूप 1 उत्तरदाता अपने रिश्तेदार के यहाँ निवास करने के कारण दूसरे ग्राम का है।

3.6.2 छात्रावासों में आवासीत करने वाले अध्ययनरत चयनित कुल 52 उत्तरदाता विद्यार्थियों से उनके ग्राम की जानकारी करने पर 4(7.70 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने विद्यालय ग्राम का निवासी होना तथा 48(92.30 प्रतिशत) ने अन्यत्र ग्रामों का होना बताया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश चयनित उत्तरदाताओं को उनके ग्राम में उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक के अध्ययन की सुविधा नहीं होने तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाओं के कारण ही इन विद्यालयों में प्रवेश लिया है, जहाँ छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध है।

3.6.3 जब इन 48 (92.30 प्रतिशत) उत्तरदाता विद्यार्थियों से उनके ग्रामों की दूरी की जानकारी की गई तो इन 48 उत्तरदाता विद्यार्थियो में से 6(12.50 प्रतिशत) ने 5 कि.मी., 9(18.75 प्रतिशत) ने 6 से 10 कि.मी., 9(18.75 प्रतिशत) ने 11 से 15 किमी. एवं 5(10.40 प्रतिशत) ने 16 से 20 कि.मी. तथा 19(39.58 प्रतिशत) ने 21 एवं इससे अधिक किलोमीटर की दूरी अपने ग्रामों से होना अवगत करवाया है। अतः अधिकांश उत्तरदाता विद्यार्थियों के ग्राम विद्यालय ग्राम से दूर है जहाँ उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3.6.4 अध्ययन हेतु छात्रावासों में आवासीत चयनित 48 अध्ययनरत उत्तरदाता विद्यार्थियों से पूर्व अध्ययनरत विद्यालयों को छोड़कर इसी चयनित विद्यालयों में प्रवेश लेने के कारणों की जानकारी करने पर उन्होंने इसके निम्न कारण बतलाये हैं :–

1. पूर्व में अध्ययनरत विद्यालय मिडिल में आगे की कक्षाऐं नहीं होने के कारण।
2. पंचायत समिति स्तर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा होने के कारण।
3. पूर्व विद्यालय प्राईवेट था तथा शुल्क भी अधिक था।
4. मिड–डे मिल की व्यवस्था होने के कारण।
5. पिताजी के गांव छोड़ने के कारण।
6. पूर्व विद्यालय मूल ग्राम से काफी दूर था।
7. पूर्व विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं होने के कारण।

अतः स्पष्ट है कि विद्यार्थी उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त कारणों से पूर्व विद्यालयों को छोड़कर चयनित विद्यालयों में प्रवेश लिया है।

3.7 चयनित उत्तरदाता परिवारों में अध्ययनरत एवं छात्रवृत्ति प्राप्त सदस्य :

3.7.1 क्षेत्र कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित जिलों के दिवस एवं छात्रावासों में आवासीत उत्तरदाताओं के परिवारों में अध्ययनरत एवं छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे बालक/बालिकाओं के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर तत्सम्बन्ध में उनके द्वारा दी गई सूचनाओं की विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

उत्तरदाता परिवार में अध्ययनरत एवं छात्रवृत्ति प्राप्त बालक–बालिकाओं का विवरण

चयनित जिला	विद्यालय का प्रकार	दिवस विद्यालय						छात्रावास आवासीत					
		अध्ययनरत छात्रों की संख्या			छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या			अध्ययनरत छात्रों की संख्या			छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या		
		बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग
अजमेर	प्राथमिक	18	19	37	10	11	21	6	3	9	–	–	–
	उ.प्रा.	17	10	27	4	9	13	12	3	15	4	–	4
	माध्यमिक	2	3	5	–	–	–	26	1	27	1	–	1
जोधपुर	प्राथमिक	9	19	28	2	15	17	3	3	6	1	1	2
	उ.प्रा.	5	11	16	5	10	15	–	3	3	–	3	3
	माध्यमिक	4	3	7	1	1	2	1	3	4	–	3	3
उदयपुर	प्राथमिक	16	11	27	5	4	9	11	5	16	1	1	2
	उ.प्रा.	10	11	21	9	10	19	11	4	15	7	1	8
	माध्यमिक	3	10	13	3	10	13	8	2	10	8	1	9
जयपुर	प्राथमिक	66	60	126	46	43	89	3	3	6	1	2	3
	उ.प्रा.	44	36	80	36	32	68	2	1	3	1	–	1
	माध्यमिक	15	18	33	9	13	22	7	3	10	6	2	8
योग	प्राथमिक	109	109	218 100%	63 57.80%	73 66.97%	136 62.39%	23	14	37 100%	3 13.04%	4 28.57%	7 18.92%
	उ.प्रा.	76	68	144	54 71.00%	61 89.71%	115 79.86%	25	11	36	12 48.0%	4 36.36%	16 44.44%
	माध्यमिक	24	34	58	13 54.16%	24 70.58%	37 63.79%	42	9	51	15 35.71%	6 66.67%	21 41.18%

3.7.2 उपरोक्त सारणी में अध्ययनरत एवं छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे बालक–बालिकाओं के समंकों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि :–

I- दिवस विद्यार्थी –

1. प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में उत्तरदाता परिवारों के कुल 218 बालक–बालिकाऐं अध्ययनरत हैं जिनमें 109 बालक एवं 109 बालिकाऐं हैं। इनमें 63(57.80 प्रतिशत) बालकों एवं 73(66.97 प्रतिशत) बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत 218 बालक–बालिकाओं में से 136 (62.39 प्रतिशत) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलना अवगत करवाया है।
2. उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में कुल 144 बालक–बालिकाऐं अध्ययनरत हैं, इनमें 76 बालक एवं 68 बालिकाऐं है। जिनमें से 54 (71.00 प्रतिशत) बालक एवं 61 (89.70 प्रतिशत) बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से उच्च प्राथमिक स्तर के अध्ययनरत कुल 144 बालक–बालिकाओं में से 115(79.86 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जा रही है।
3. माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में कुल 58 बालक–बालिकाऐं अध्ययनरत है। इनमें 24 बालक एवं 34 बालिकाऐं है। इनमें 13(54.16 प्रतिशत) बालकों एवं 24 (70. 58 प्रतिशत) बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त होना अवगत करवाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कुल 58 बालक–बालिकाओं में से 37 (63.79 प्रतिशत) छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जा रही है। अतः उपरोक्त समंकों का समग्र रूप से विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में उत्तरदाता छात्र/छात्राओं के परिवारों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत 420 बालक–बालिकों में से समग्र कक्षाओं के288(68.57 प्रतिशत) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जा रही है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न परिवारों के सभी शत–प्रतिशत अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जावे।

II- छात्रावास आवासित –

सारणी में छात्रावासों में आवासित विद्यार्थी उत्तरदाताओं के परिवारों में अध्ययनरत एवं छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे बालक–बालिकाओं के समंकों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि :–

1. प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में कुल 37 बालक–बालिकाऐं अध्ययनरत है, जिनमें 23 बालक एवं 14 बालिकाऐं हैं। इनमें 3(13.04 प्रतिशत) बालक एवं 4 (28.57 प्रतिशत) बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार छात्रावासों में आवासीत छात्र उत्तरदाता परिवारों के प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत 37 बालक–बालिकाओं में से केवल 7 (18.92 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं को ही छात्रवृत्ति मिलने की जानकारी हुई है।

2. उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में कुल 36 बालक–बालिकाऐं अध्ययनरत है, जिनमें 25 बालक एवं 11 बालिकाऐं हैं। इनमें 12(48.00 प्रतिशत) बालकों एवं 4(36.36 प्रतिशत) बालिकाओं के ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाये जाने की जानकारी की गई है। इस प्रकार कुल बालक–बालिकाओं में से 16 (44.44 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं को ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा रही है।

3. माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में कुल 51 बालक–बालिकाऐं अध्ययनरत है, इनमें 42 बालक एवं 9 बालिकाऐं है। इनको मिलने वाली छात्रवृत्ति में 15(35.71 प्रतिशत) बालकों एवं 6(66.67 प्रतिशत) बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कुल 51 बालक–बालिकाओं में से केवल 21(41.18 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं को ही छात्रवृत्ति उपलब्ध हो रही है। जबकि राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में एक मुश्त तदर्थ अनुदान राशि ही उपलब्ध करवाई जा रही है।

अतः छात्रावासों में आवासित उत्तरदाता विद्यार्थियों के परिवारों के समग्र मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि समग्र कक्षाओं के 124 बालक–बालिकाओं में से केवल 44(35.48 प्रतिशत) बालक–बालिकाओं को ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जा रही है। जो योजना की धीमी प्रगति को दर्शाता है।

3.8 दत्तक पुत्र/पुत्री :

3.8.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से यह जानकारी करने पर कि क्या वे अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों दत्तक पुत्र/पुत्री है? तत्सम्बन्ध में दिवस छात्र के 153(शत–प्रतिशत) तथा छात्रावास आवासित के 52(शत–प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के दत्तक पुत्र/पुत्री नहीं होने से अवगत करवाया है।

3.8.2 अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र :

दिवस छात्र उत्तरदाताओं से छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष अपने माता–पिता के अस्वच्छ व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है, या नहीं के संबंध में जानकारी करने पर चयनित 153 दिवस छात्र उत्तरदाताओं में से 111(72.55 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने प्रतिवर्ष अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना तथा 42(27.45 प्रतिशत) ने प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने की जानकारी से अवगत करवाया है। इससे स्पष्ट है कि, कुछ उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिवर्ष अस्वच्छ व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3.8.3 परिवार से अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न सदस्यों की संख्या :

चयनित उत्तरदाताओं से उनके परिवार में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे सदस्यों की जानकारी करने पर कुल चयनित 153 दिवस छात्र उत्तरदाताओं में से 131(85.62 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने परिवार में 160 तथा आवासीत छात्रावास के चयनित कुल 52 उत्तरदाताओं में से 21(40.38 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार में 31 सदस्यों ने अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न होने की जानकारी उपलब्ध करवाई है। अतः स्पष्ट है कि 22(14.38 प्रतिशत) दिवस छात्र उत्तरदाताओं तथा 31(59.62 प्रतिशत) छात्रावास आवासित उत्तरदाताओं के परिवार में कोई भी व्यक्ति अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न नहीं है। अतः विभाग स्तर इस बिन्दु की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है।

3.8.4 चयनित उत्तरदाताओं से यह जानकारी करने पर कि उनके परिवार के सदस्यों का अस्वच्छ व्यवसाय से जुड़े रहने के क्या कारण है, तत्सम्बन्ध में उन्होंने इसके निम्नांकित कारण बताये हैं :–

(क) परिवार का परम्परागत/पैतृक व्यवसाय/ होने के कारण।
(ख) परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घर/परिवार का गुजारा करने हेतु।
(ग) परिवार के सदस्यों का नगर पालिका/अस्पताल के सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत होना।
(घ) चर्म उत्पाद में हाथ का पारंगत (हुनर) होने के कारण।

3.9 छात्रवृत्ति योजना की जानकारी, माध्यम एवं छात्रवृत्ति की राशि :

3.9.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं को उनके समाज के छात्र–छात्राओं के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में जानकारी है या नहीं, के सम्बन्ध में जानकारी करने पर दिवस छात्र के 153 (शत–प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति योजना की जानकारी होने से अवगत करवाया है।

3.9.2 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से छात्रवृत्ति योजना की जानकारी किस माध्यम से प्राप्त हुई, की जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गई सूचनाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

छात्रवृत्ति योजना की जानकारी के माध्यम

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाता	जानकारी के स्त्रोत/माध्यम (संख्या में)				
			विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ चौकीदार	आवासित पूर्व छात्रों द्वारा	रिश्तेदारों/ गांव वालो द्वारा	समाचार पत्रों से	छात्रावास के अधीक्षक द्वारा
1.	अजमेर	27	26	1	–	–	–
2.	जोधपुर	17	13	–	–	1	3
3.	उदयपुर	26	25	–	–	–	1
4.	जयपुर	83	80	–	3	–	–
	योग	**153**	**144**	**1**	**3**	**1**	**4**
	प्रतिशत	**100.0**	**94.12**	**0.65**	**1.96**	**0.65**	**2.62**

3.9.3 उपरोक्त तालिका के विवरण से जानकारी मिलती है कि 144 (94.12 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापिका एवं विद्यालय के चौकीदार से छात्रवृत्ति योजना की जानकारी मिलना बताया है। 4(2.62 प्रतिशत) ने छात्रावास के अधीक्षक से एवं 3(1.96 प्रतिशत) ने अपने रिश्तेदारों एवं गांव के निवासियों से, 1(0.65 प्रतिशत) ने छात्रावास के पूर्व आवासीत छात्रों से तथा 1(0.65 प्रतिशत) उत्तरदाता ने समाचार पत्र से छात्रवृत्ति योजना की जानकारी होना अवगत करवाया है। हालांकि छात्रवृत्ति योजना की जानकारी के अनेक माध्यम है किन्तु मुख्य माध्यम विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अध्यापक ही है, जो अपने विद्यालय के छात्र/छात्राओं को योजना की जानकारी से अवगत करवाते रहते हैं।

3.9.4 अध्ययन हेतु चयनित दिवस छात्र उत्तरदाता छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, की जानकारी करने पर समस्त 153 (शत–प्रतिशत) चयनित उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति प्राप्त करना बताया है।

3.9.5 चयनित दिवस छात्र उत्तरदाता छात्रवृत्ति कितने वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं कि जानकारी करने पर 153 उत्तरदाताओं में से 34(22.22 प्रतिशत) उत्तरदाता छात्र पिछले एक वर्ष से, 74(48.37 प्रतिशत) दो वर्ष से, 26(16.99 प्रतिशत) 3 वर्षो से, 6 (3.92 प्रतिशत) पिछले चार वर्षों से तथा 12(7.84 प्रतिशत) को 5 एवं इससे अधिक वर्षों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं जबकि 1(0.65 प्रतिशत) उत्तरदाता ने अभी छात्रवृत्ति प्राप्त होना नहीं बताया है। अतः स्पष्ट है कि अपवाद स्वरूप 1 उत्तरदाता को छोड़कर शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं को पिछले 5 एवं इससे अधिक वर्षों से छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है।

3.9.6 अध्ययन हेतु चयनित दिवस छात्र/छात्राओं के उत्तरदाता, अभिभावकों से उनके बच्चों को छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि एवं छात्रवृत्ति समय पर मिल जाती है या नहीं, की जानकारी करने पर उत्तरदाताओं ने जो सूचनाऐं उपलब्ध करवायी है, उसका विवरण निम्न तालिका में उपदर्शित किया गया है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाता	क्या छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि मिल जाती है (संख्या)			क्या छात्रवृत्ति की राशि समय पर मिल जाती है (संख्या)		
			हाँ	नहीं	प्रत्युत्तर नहीं	हाँ	नहीं	प्रत्युत्तर नहीं
1.	अजमेर	27	–	23	4	–	23	4
2.	जोधपुर	17	17	–	–	17	–	–
3.	उदयपुर	26	26	–	–	26	–	–
4.	जयपुर	83	50	33	–	83	–	–
	योग	**153**	**93**	**56**	**4**	**126**	**23**	**4**
	प्रतिशत	**100.0**	**60.78**	**36.60**	**2.62**	**82.35**	**15.03**	**2.62**

3.9.7 उपरोक्त सारणी के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) 93(60.78 प्रतिशत) दिवस विद्यार्थी उत्तरदाताओं को छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि प्राप्त होती है एवं 56(36.60 प्रतिशत) को निर्धारित राशि प्राप्त नहीं होती है। 4(2.62 प्रतिशत) उत्तरदाता अभिभावकों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ii) छात्रवृत्ति की राशि समय पर मिलती है या नहीं, के सम्बन्ध में 126(82.35 प्रतिशत) उत्तरदाता अभिभावकों ने अपने बच्चों को समय पर प्राप्त होना एवं 23(15.03 प्रतिशत) ने समय पर प्राप्त नहीं होना बताया है। 4(2.62 प्रतिशत) उत्तरदाता अभिभावकों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

3.9.8 उत्तरदाता अभिभावकों से निर्धारित छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं होने तथा समय पर राशि का भुगतान नहीं होने के कारणों की जानकारी करने पर उन्होंने अपने प्रत्युत्तर में इसके निम्न कारण बताये हैं :–

(i) प्रारम्भिक वर्षों में तो छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी किन्तु वर्ष 2005–06 की छात्रवृत्ति नहीं मिली, इसके कारणों की जानकारी विद्यार्थी/ बच्चों को नहीं है।

(ii) वर्ष 2006–07 की छात्रवृत्ति स्वीकृत होकर विद्यालयों में तो आ चुकी है किन्तु अभी तक विद्यार्थी उत्तरदाताओं को इसका वितरण नहीं हुआ है। इसके कारणों की जानकारी स्कूल प्रशासन ही दे सकता है उन्हें वितरण नहीं होने की जानकारी नहीं है।

(iii) छात्रवृत्ति की राशि समय पर स्वीकृत होकर विद्यालयों में नहीं आती है। छात्रवृत्ति की राशि विलम्ब से प्राप्त होती है, जो शैक्षणिक सत्र के अन्त में या अगले सत्र में प्राप्त होती है।

3.9.9 अध्ययन हेतु चयनित जिलों के कुल 42 कार्यकारियों से उनके क्षेत्र के शत–प्रतिशत विद्यालयों को एवं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध हो रही है या नहीं, की जानकारी करने पर 77.78 प्रतिशत कार्यकारी उत्तरदाताओं ने शत–प्रतिशत विद्यालयों तथा 88.89 प्रतिशत ने शत–प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध होना अवगत करवाया है। शेष 22.22 प्रतिशत ने विद्यालयों एवं 11.11 प्रतिशत ने छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होने की जानकारी से अवगत करवाया है।

3.9.10 उत्तरदाता कार्यकारियों से पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारणों की जानकारी करने पर उन्होंने इसके निम्न कारण बताये हैं :–

(i) आवेदन–पत्र भिजवाने के पश्चात् भी राशि प्राप्त नहीं होती है।
(ii) अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत/जारी नहीं होने के कारण।
(iii) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र होने के कारण।
(iv) निजी विद्यालयों में अध्ययनरत होने के कारण।

अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि प्राप्त हो जाती है किन्तु विद्यार्थियों/अभिभावक उत्तरदाताओं को समय पर उपलब्ध नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण विभागीय स्तर पर छात्रवृत्ति की राशि समय पर स्वीकृत होकर नहीं आना एवं विद्यालय स्तर से भी इसका वितरण विलम्ब से होना है। छात्रवृत्ति की राशि या तो शैक्षणिक सत्र के अन्त में या अगले सत्र में या अगले सत्र के प्रारम्भ होने के बाद उपलब्ध करवायी जाती है। फलस्वरूप छात्रों को अपने आवश्यक व्ययों की पूर्ति करने में परेशानी होती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि विभाग स्तर पर छात्रवृत्ति की राशि समय पर स्वीकृत करने एवं विद्यालयों के स्तर पर इसका वितरण शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पूर्व ही किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3.10 छात्रावास में प्रवेश :

3.10.1 अध्ययन हेतु छात्रावास में आवासित चयनित उत्तरदाता छात्रों से उनके द्वारा छात्रावास में प्रवेश लेने के कारणों की जानकारी चाही गयी। तत्सम्बन्ध में उन्होंने छात्रावास में प्रवेश लेने के जो कारण बताये उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	छात्रावास के चयनित उत्तरदाता छात्र	छात्रावास में प्रवेश लेने के कारणों का विवरण			
			निशुल्क आवास पाठ्य पुस्तकें, नाश्ता, भोजन, यूनीफार्म एवं तदर्थ अनुदान की सुविधा होने के कारण	परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से	स्वयं के ग्राम में उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण	ग्राम के विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं थी तथा पढ़ाई का वातावरण नहीं था
1.	अजमेर	28	26	5	5	2
2.	जोधपुर	4	4	–	4	–
3.	उदयपुर	13	1	1	1	10
4.	जयपुर	7	7	5	1	1
	योग	**52**	**38**	**11**	**11**	**13**

3.10.2 उपरोक्त विवरण की जानकारी करने से ज्ञात होता है कि चयनित कुल 52 उत्तरदाता छात्रों ने छात्रावास में प्रवेश लेने के एक से अधिक कारण बतलाये है, जिनमें सबसे अधिक 38 उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवास व्यवस्था के साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, भोजन, नाश्ता एवं स्कूल यूनीफार्म तथा तदर्थ अनुदान राशि मिलने के कारण छात्रावास में प्रवेश लेना अवगत करवाया है। साथ ही इनमें से 11 ने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने एवं 11 ने स्वयं के ग्रामों में

उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल नहीं होने के कारण आगे अध्ययन करने हेतु तथा 13 उत्तरदाताओं ने अपने ग्राम के विद्यालयों में अध्ययन का वातावरण नहीं मिलने, स्कूल में अध्ययन का स्तर अच्छा नहीं होने के कारण अन्यत्र ग्राम में अध्ययन हेतु छात्रावास में प्रवेश लेने का कारण रहा है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा छात्रावास में निःशुल्क आवास एवं निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था का लाभ लेने हेतु प्रवेश लिया हैं।

3.11 छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र एवं नवीनीकरण :

3.11.1 अध्ययन हेतु चयनित दिवस छात्र उत्तरदाताओं से प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु भिजवाये गये आवेदन–पत्रों के साथ कौन–कौनसे प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये, की जानकारी की गई। तत्सम्बन्ध में उत्तरदाताओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रमाण–पत्रों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाता	संलग्न किये गये प्रमाण–पत्रों का विवरण				
			जाति प्रमाण पत्र	आय का प्रमाण पत्र	अंक तालिका/ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण पत्र	परिवार राशन कार्ड की प्रति
1.	अजमेर	27	18 (66.67)	–	–	17 (62.96)	–
2.	जोधपुर	17	17 (100.0)	–	16 (94.12)	–	–
3.	उदयपुर	26	18 (69.23)	7 (26.92)	7 (26.92)	24 (92.30)	–
4.	जयपुर	83	83 (100.0)	82 (98.80)	36 (43.37)	82 (98.80)	49 (59.04)
	योग	**153**	**136 (88.89)**	**89 (58.17)**	**59 (38.56)**	**123 (80.39)**	**49 (32.03)**

नोट – ( )कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

3.11.2 उपरोक्त विवरण का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) चयनित जिलों में अजमेर जिले के कुल 27 उत्तरदाताओं में से 18 (66.67 प्रतिशत) ने जाति प्रमाण–पत्र के साथ–साथ 17(62.96 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया है।

(ii) चयनित जिला जोधपुर के कुल 17 उत्तरदाताओं में से 17(100.0 प्रतिशत) ने जाति प्रमाण–पत्र तथा 16(94.12 प्रतिशत) ने छात्रों की पूर्व विद्यालय/कक्षा की अंक तालिका संलग्न की गई, जबकि इस जिले के किसी भी उत्तरदाता ने अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) चयनित जिला उदयपुर के कुल 26 उत्तरदाताओं में से 18(69.23 प्रतिशत) ने जाति प्रमाण–पत्र, 7(26.92 प्रतिशत) ने आय का प्रमाण–पत्र एवं छात्र की अंकतालिका तथा 24(92.30 प्रतिशत) ने अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अवगत करवाया है।

(iv) चयनित जिला जयपुर के कुल 83 उत्तरदाताओं में से 83(शत–प्रतिशत) ने जाति प्रमाण–पत्र एवं 82(98.80 प्रतिशत) ने अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही 82(98.80 प्रतिशत) ने आय के प्रमाण–पत्र के साथ–साथ 36(43.37 प्रतिशत) ने छात्र की अंक तालिका/स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है तथा 49(59.04 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने परिवार के राशन कार्ड की प्रति भी संलग्न करना अवगत करवाया है।

3.11.3 उपरोक्त समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु भिजवाये गये आवेदन पत्रों के साथ संलग्न प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में चयनित जिलों के कुल 153 उत्तरदाताओं में से 123(80.39 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने ही आवेदन पत्र के साथ अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया है। चयनित जिला जोधपुर में तो किसी भी उत्तरदाता ने आवेदन के साथ अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने की जानकारी उपलब्ध करवायी है। जिससे स्पष्ट होता है कि छात्रवृत्ति के लिए जारी दिशा–निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि विभाग स्तर पर तत्सम्बन्धी कारणों की जानकारी कर छात्रवृत्ति हेतु जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायी जानी चाहिए।

3.11.4 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र किसके द्वारा तैयार करवाये गये सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित दिवस छात्र के कुल 153 उत्तरदाताओं में से 109(71.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति हेतु अपने आवेदन पत्र विद्यालय के अध्यापकों द्वारा, 36(23.53 प्रतिशत) ने अपने परिचितों, परिवार के अभिभावकों, भाई, बहन, रिश्तेदारों आदि से तैयार करवाना बताया है एवं 4(2.61 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र तैयार करवाने की जानकारी से अवगत करवाया है। 4(2.61 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र अपने विद्यालय के अध्यापकों से ही तैयार करवाये गये, जिनको आवेदन पत्र के बिन्दुओं एवं पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं की जानकारी होती है।

3.11.5 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से जब यह जानकारी चाही गयी कि छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु उनसे प्रतिवर्ष अस्वच्छ व्यवसाय सम्बन्धी प्रमाण पत्र लिया जाता है या नहीं। तत्सम्बन्ध में चयनित 153 उत्तरदाताओं में से 109(71.24 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष उनसे अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण पत्र लिया जाना तथा 44(28.76 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण पत्र उनसे नहीं लिया जाना अवगत करवाया है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु कुछ विद्यालय द्वारा अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न माता–पिता के प्रमाण–पत्र नहीं लिए जाते है। चयनित जिला अजमेर के चयनित 27 उत्तरदाताओं में से किसी भी उत्तरदाता छात्र ने अस्वच्छ व्यवसाय के प्रमाण पत्र नहीं लिये जाना बताया है। इससे स्पष्ट है कि विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है।

3.11.6 अध्ययन हेतु चयनित समग्र उत्तरदाताओं से उन्हें छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान हेतु आवेदन पत्र भरने एवं उसे प्रस्तुत करने संबंधी जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तत्सम्बन्धी जानकारी करने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में निम्नांकित कठिनाइयों से अवगत करवाया हैः–

(1) योजनान्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु माता–पिता के अस्वच्छ व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी होती है।

(2) आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कठिनाई आती है।

(3) आवेदन पत्र का प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाने के लिए माता–पिता का अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न होने की घोषणा/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में परेशानी होती है जबकि कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा जाति के आधार पर ही छात्रों की सूची तैयार कर छात्रवृत्ति हेतु भिजवा दी जाती है।

3.12. छात्रवृत्ति की उपलब्धता :

3.12.1 अध्ययन हेतु चयनित समग्र उत्तरदाताओं से वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के वर्ष में उन्हें छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान की पूर्ण राशि मिली या नहीं की जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गई सूचनाओं का विवरण निम्न सारणी में दिया गया हैः–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाता	क्या छात्रवृत्ति की पूर्ण राशि मिल गई				चयनित उत्तरदाता	क्या तदर्थ अनुदान की पूर्ण राशि मिल गई			
			2005–06		2006–07			2005–06		2006–07	
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	अजमेर	27	21	6	2	25	55	10	45	8	47
2.	जोधपुर	17	17	–	–	17	21	20	1	4	17
3.	उदयपुर	26	24	2	9	17	39	29	10	22	17
4.	जयपुर	83	59	24	63	20	90	65	25	69	21
	योग	**153**	**121**	**32**	**74**	**79**	**205**	**124**	**81**	**103**	**102**
	प्रतिशत	**100.00**	**79.08**	**20.92**	**48.37**	**51.63**	**100.00**	**60.49**	**39.51**	**50.24**	**49.76**

3.12.2 उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि, चयनित जिलों के कुल 205 चयनित उत्तरदाताओं में से :–

(i) वर्ष 2005–06 में 121 (79.08 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति की पूर्ण राशि प्राप्त होना एवं 32(20.92 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने प्राप्त नहीं होना अवगत करवाया है। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में 74(48.37 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति की पूर्ण राशि प्राप्त होना एवं 79(51.63 प्रतिशत) ने प्राप्त नहीं होना अवगत करवाया हैं अतः उपरोक्त विश्लेषण से जानकारी मिलती है कि उक्त दोनों संदर्भित वर्षो में वर्ष 2005–06 में 21.00 प्रतिशत एवं 2006–07 में 51.63 प्रतिशत उत्तरदाताओं को छात्रवृत्ति की पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) तदर्थ अनुदान की पूर्ण राशि के संबंध में कुल 205 समग्र उत्तरदाताओं में से वर्ष 2005–06 में 124(60.49 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने तदर्थ अनुदान की पूर्ण राशि प्राप्त होना एवं 81(39.51 प्रतिशत) ने प्राप्त नहीं होना बताया है। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में 103(50.24 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने तदर्थ अनुदान की पूर्ण राशि प्राप्त होना एवं 102(49.76 प्रतिशत) ने प्राप्त नहीं होना अवगत करवाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त सन्दर्भित वर्षो में वर्ष 2005–06 में 39.51 प्रतिशत एवं वर्ष 2006–07 में 49.76 प्रतिशत छात्रों को तदर्थ अनुदान की पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन के सन्दर्भित वर्षो में लक्षित समग्र को छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान की पूर्ण राशि का भुगतान नहीं होने से जहाँ एक ओर विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राशि नहीं मिलने से परेशानी होती है तो दूसरी ओर योजना के उद्देश्यों/लक्ष्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि, विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा करते हुये विद्यार्थियों को सम्पूर्ण राशि का वितरण यथासमय किया जाना चाहिए।

3.12.3 अध्ययन हेतु जिन चयनित उत्तरदाताओं से निर्धारित राशि नहीं मिलने के कारणों की जानकारी करने पर उन्होंने इसके निम्नांकित कारण बताये हैः–

(क) छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान की पूर्ण राशि नहीं दिये जाने के कारणों की कोई जानकारी नहीं है।
(ख) विद्यालय को 8 माह की ही राशि प्राप्त हुई है।
(ग) राशि चैक द्वारा बैंक खाते में जमा करवाई जाती है जिसके कारण पता ही नहीं चलता कि राशि कितनी आई एवं कब जमा हुई।
(घ) स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण
(ड.) स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण राशि नहीं मिली।

3.12.4 अध्ययन हेतु चयनित समग्र उत्तरदाताओं से यह जानकारी की गई कि छात्रवृत्ति की राशि उन्हें स्वयं को उपलब्ध करवाई जाती है या उनके अभिभावकों को तत्सम्बन्ध में उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया :–

क्र. सं	चयनित जिला	चयनित उत्तरदातओं का समूह	छात्रवृत्ति की राशि किसके उपलब्ध करवाई जाती है (संख्या में)			
			विद्यार्थी	अभिभावक	दोनों को	प्रत्युत्तर नहीं दिया
1.	अजमेर	55	24	8	7	16
2.	जोधपुर	21	5	–	16	–
3.	उदयपुर	39	30	–	9	–
4.	जयपुर	90	3	6	81	–
	कुल उत्तरदाता प्रतिशत	**205 (100.00)**	**62 (30.25)**	**14 (6.83)**	**113 (55.12)**	**16 (7.80)**

3.12.4.1 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि, कुल चयनित 205 उत्तरदाताओं में से 62(30.25 प्रतिशत) ने स्वयं विद्यार्थियों को 14(6.83 प्रतिशत) ने अभिभावकों को एवं 113(55.12 प्रतिशत) ने दोनों को (विद्यार्थी एवं अभिभावक) को ही छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध करवाने की जानकारी दी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं के अभिभावकों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाता है। 16(7.80 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

3.12.4.2 चयनित जिलों के 42 कार्यकारियों से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में से किसको उपलब्ध करवाई जाती है संबंधी जानकारी करने पर 18(42.86 प्रतिशत) कार्यकारियों ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों (दोनों को ही) छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध करवाना बताया है जबकि 16(38.10 प्रतिशत) ने विद्यार्थियों को तथा 2(4.76 प्रतिशत) ने अभिभावकों को उपलब्ध करवाना अवगत करवाया है। शेष 6(14.28 प्रतिशत) कार्यकारियों ने इस बिन्दु पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

3.13 छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान के भुगतान का स्वरूप :

3.13.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से उन्हें योजनान्तर्गत मिलने वाला तदर्थ अनुदान एवं छात्रवृत्ति किस स्वरूप में (मासिक/एकमुश्त/किश्तों में) उपलब्ध करवाई जाती है की जानकारी करने पर उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान के भुगतान का स्वरूप	चयनित उत्तरदाताओं का समूह			
	दिवस विद्यार्थी उत्तरदाता	छात्रावास में आवासित उत्तरदाता	कार्यकारी उत्तरदाता	
	छात्रवृत्ति	तदर्थ अनुदान	छात्रवृत्ति	तदर्थ अनुदान
मासिक	01 (0.65)	–	4(9.52)	3(7.14)
एक मुश्त	129 (84.32)	35 (67.30)	27(64.29)	27(64.29)
किश्तो में	17 (11.11)	–	–	–
प्रत्युत्तर नहीं दिया	06 (3.92)	17 (32.70)	11(26.19)	12 (28.57)
कुल उत्तरदाता	**153 (100.00)**	**52 (100.00)**	**42(100.00)**	**42 (100.00)**

कोष्ठक ( ) में प्रतिशत अंकित किया गया है।

3.13.2 उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) विद्यालयों में पढ़ने वाले दिवस विद्यार्थियों में चयनित 153 उत्तरदाताओं में से 129 (84.32 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति की राशि एक मुश्त प्राप्त करना बताया है एवं 17(11.11 प्रतिशत) ने किश्तों में तथा अपवाद स्वरूप 1(0.65 प्रतिशत) उत्तरदाता ने मासिक रूप से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने की जानकारी उपलब्ध करवाई है। शेष 6 (3.92 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकांश दिवस विद्यार्थियों (Day Scholars) को छात्रवृत्ति की राशि एक मुश्त ही उपलब्ध करवाई गई है। छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रावास में निःशुल्क भोजन, आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी नियमों में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, परन्तु राज्य सरकार दोहरा लाभ देने के पक्ष में नहीं है।

(ii) छात्रावासों में आवासीत छात्रों को मिलने वाली तदर्थ अनुदान की राशि के भुगतान के संबंध में कुल चयनित 52 उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर 35(67.30 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने तदर्थ अनुदान की राशि एक मुश्त मिलना अवगत करवाया है किश्तों या माहवार अनुदान की राशि नहीं मिलती है। शेष 17(32.70 प्रतिशत) ने अनुदान की राशि के बारे में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

3.13.3 अध्ययन हेतु चयनित 42 कार्यकारी उत्तरदाताओं से छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान की राशि के स्वरूप की जानकारी करने पर 4(9.52 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति एवं 3(7.14 प्रतिशत) ने तदर्थ अनुदान की राशि मासिक रूप से भुगतान किया जाना बताया है जबकि अधिकांश 27(64.29 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति तथा तदर्थ अनुदान की राशि का भुगतान एक मुश्त किये जाने की जानकारी दी है। शेष 11(26.19 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति एवं 12(28.57 प्रतिशत) कार्यकारियों ने तदर्थ अनुदान के भुगतान की व्यवस्था के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

3.13.4 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं एवं कार्यकारियों से राशि का वितरण/भुगतान निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नहीं किये जाने के कारणों की जानकारी करने पर उन्होंने इसके निम्न कारण बताये है :–

(1) छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान की निर्धारित व्यवस्था/समय की जानकारी नहीं होना।

(2) विद्यालयों में ब्लाक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से छात्रवृत्ति की राशि नियमित समय पर प्राप्त नहीं होती है इस कारण देरी होती है तथा राशि प्राप्त होने पर एक मुश्त भुगतान किया जाता है।

(3) बजट प्राप्त नहीं होना एवं बजट देरी से प्राप्त होता है जिसके कारण विलम्ब से स्वीकृति/राशि भेजी जाती है।

(4) विद्यालयों द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार राशि प्राप्त नहीं होती है तथा विद्यालयों से भी सूचना ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देरी से प्राप्त होती है। इस कारण विलम्ब होता चला जाता है।

अतः उपरोक्त समग्र मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान की राशि का भुगतान निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नहीं होकर विलम्ब से होता है तथा एक मुश्त भुगतान किया जाता है जिसके कारण छात्रों को नियमित व्यवस्था से भुगतान नहीं होने पर उन्हें शैक्षणिक वर्ष में आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ती है साथ ही योजना पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि विभागीय स्तर पर छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान की नियमित समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3.14 राशि का उपयोग :

3.14.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से उनके द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि का किन–किन कार्यो में/किस प्रकार उपयोग किया जाता है संबंधी विवरण की जानकारी करने पर उन्होंने प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि के उपयोग संबंधी जो विवरण प्रस्तुत किया है वह निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	प्राप्त राशि के उपयोग का मदवार विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
1.	परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री यथा पास बुक्स, ज्यौमेट्री बाक्स एवं अन्य शैक्षणिक स्टेशनरी/सामग्री के क्रय करने में उपयोग तथा प्राईवेट टयूशन करने पर ट्यूटर को फीस का भुगतान	164
2.	विद्यालय शुल्क/फीस एवं गणवेश बनवाने पर उपयोग	07
3.	नये कपड़े खरीदनें, सिलवाने तथा जूते खरीदने पर उपयोग	105
4.	विद्यालय में अवकाश होने पर अपने गाँव जाने–आने एवं घरेलू सामान/सामग्री खरीदने पर उपयोग	14
5.	अभिभावकों द्वारा घर/परिवार में निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग	16

3.14.2 उपरोक्त विभिन्न मदों पर उपयोग के विवेचन से स्पष्ट होता है कि, उत्तरदाता/विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का एक से अधिक मदों पर व्यय किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं में से 171 उत्तरदाताओं ने आंशिक रूप से छात्रवृत्ति की राशि का अध्ययन मद पर उपयोग किया है शेष उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति की राशि का सही उपयोग नहीं करके अपने निजी घरेलू, व्यक्तिगत रूचि के मदों पर व्यय किया है यथा नया कपड़े खरीदने, सिलवाने, जूते खरीदने, गाँव आने–जाने ताकि अन्य घरेलू कार्यो में उपयोग का गैर अध्ययन मदों पर राशि व्यय की गई है जो विचारणीय एवं चिन्ताजनक विषय है। अतः विभागीय स्तर पर विचार कर तत्संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिया जाना अपेक्षित है।

3.15 छात्रवृत्ति के लाभ/प्रभाव :

3.15.1 अध्ययन किये गये छात्रवृत्ति से लाभान्वितों एवं कार्यकारी उत्तरदाताओं से छात्रों को उपलब्ध करवाई जा रही छात्रवृत्ति से उनके शैक्षणिक, सामाजिक एवं जीवन स्तर/रहन सहन पर हुये प्रभाव/लाभों के संबंध में जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है :–

छात्रवृत्ति से लाभ/प्रभाव के स्तर	उत्तरदाताओं की श्रेणी	छात्रवृत्ति से हुये लाभ/प्रभाव संबंधी विवरण	उत्तरदाताओं की	
			संख्या	प्रतिशत
शैक्षणिक प्रभाव/लाभ	छात्रवृत्ति से लाभान्वित उत्तरदाता	अध्ययन में निरन्तरता/नियमितता आई है, शिक्षा के स्तर में सुधार एवं शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है।	151	(98.70)
	कार्यकारी	नामांकन में वृद्धि हुई है। शिक्षा में नियमितता आई है अध्ययन सामग्री समय पर प्राप्त होने से पढ़ाई के स्तर में सुधार हुआ है। विद्यालय जुड़ाव में बढोतरी हुई है। शैक्षणिक गतिविधियों में रूचि बढ़ने की मानसिकता का प्रादुर्भाव हुआ है।	30	(71.43)
सामाजिक प्रभाव/लाभ	छात्रवृत्ति से लाभान्वित उत्तरदाता	रूढीवादिता, अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराईयों (बाल विवाह, मृत्यु भोज) समाप्त होने लगी है एवं विचारों में परिवर्तन आया है।	118	(77.12)
	कार्यकारी	अध्ययन से समाज में पहचान बनी है सामाजिक स्तर में सुधार, समाज से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सम्मान मिला है तथा समाज के अन्य बालक/बालिकाओं को विद्यालयों को जोड़ने में उपयोगी हुआ है। बाल विवाह में कमी आई है।	28	(66.67)
जीवन स्तर/रहन सहन पर प्रभाव/लाभ	छात्रवृत्ति से लाभान्वित उत्तरदाता	शारीरिक, परिवार/घर एवं स्कूल में साफ–सफाई पर ध्यान दिया जाने लगा है, स्कूल की यूनिफार्म पहन कर गौरव महसूस होता है जिसके कारण शैली में परिवर्तन आया है।	123	(80.40)
	कार्यकारी	रहन–सहन के स्तर में पहले से सुधार आया है निर्धारित पौशाक पहन कर विद्यालय में आना एवं स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के तरीको से अच्छा एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । जागरूकता बढ़ी है।	26	(61.90)

3.15.2 उपरोक्त विवरण का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि :–

(क) चयनित 153 उत्तरदाताओं में से 151(98.70 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति प्राप्त होने से उनको शैक्षणिक लाभ मिला है एवं उसका प्रभाव यह रहा कि उनके अध्ययन करने में निरन्तरता/नियमितता आई है, एवं शिक्षा के स्तर में सुधार होने के साथ–साथ अध्ययन के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ा है। इस संदर्भ में 42 कार्यकारी उत्तरदाताओं में से 30(71.43 प्रतिशत) कार्यकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया में अवगत करवाया कि छात्रवृत्ति के उपलब्ध होने से विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है, शिक्षा में नियमितता आई है, पाठ्य सामग्री प्राप्त होने से पढ़ाई के स्तर में भी सुधार हुआ है एवं विद्यालय से छात्रों का जुड़ाव हुआ हैं साथ ही शिक्षा के प्रति लोगों में चेतना जागृत होने से उनकी एक नई सोच का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं एवं कार्यकारियों ने छात्रवृत्ति की उपलब्धता के कारण शैक्षणिक लाभ/प्रभाव को सकारात्मक अभिप्रेरण होना बताया है।

(ख) सामाजिक लाभ के संदर्भ में 118 (77.12 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक लाभ के साथ–साथ सामाजिक लाभ होना भी अवगत करवाया है जिनमें अध्ययन के कारण उनके समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के साथ ही बाल विवाह, मृत्युभोज आदि सामाजिक बुराईयों का अन्त होने लगा है एवं उनके विचारों में परिवर्तन आया है। जबकि 28(66.67 प्रतिशत) कार्यकारियों ने अवगत करवाया कि सामाजिक स्तर पर समाज में अध्ययन करने वाले छात्रों की पहचान बनी है सामाजिक स्तर में सुधार आया है एवं पढ़ने वाले छात्रों को समाज के सम्मान मिला है तथा समाज के अन्य बालक बालिकाओं को अध्ययन हेतु विद्यालयों से जोड़ने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। समाज में बाल विवाहों पर रोक लगी है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सामाजिक स्तर पर लाभ होना स्वीकार किया है।

(ग) जीवन स्तर एवं रहन–सहन के संदर्भ में 123(80.40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होने एवं अध्ययन करने से उनकी जीवन शैली में बदलाव आया है तथा रहन–सहन के स्तर में परिवर्तन हुआ है जिनमें शारीरिक साफ–सफाई, परिवार/घर, विद्यालय में स्वच्छता रखने पर ध्यान दिया जाने लगा है। विद्यालय की गणवेश पहन कर जाने से उन्हें गौरव महसूस होता है जिसके कारण उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार आया है। दूसरी ओर 26(61.90 प्रतिशत) कार्यकारियों ने भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुये अवगत करवाया कि पहले की अपेक्षा सुधार आया है, शरीरिक एवं विद्यालय, परिवार में स्वच्छता, साफ–सफाई रखने से उनकी जीवन शैली बदली है एवं इसका अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता एवं कार्यकारियों ने छात्रवृत्ति की उपलब्धता के कारण छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक, सामाजिक एवं जीवन स्तर में सुधार, विस्तार, अध्ययन में निरन्तरता, नियमितता, घर, परिवार एवं शारीरिक साफ–सफाई, स्वच्छता के साथ–साथ, समाज से सम्मान मिलना, अध्ययन के प्रति जागृति, रूचि का बढ़ना तथा विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि के साथ ही मानसिक सोच में भी बदलाव आया है इससे बाल विवाहों में कमी होना बताया गया है। छात्र/छात्राओं की जवीन शैली में बदलाव होना भी स्वीकार किया है। जिसके कारण छात्रवृत्ति का अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

3.16 छात्रावास सुविधा का प्रभाव :

3.16.1 अध्ययन हेतु छात्रावासों में आवासीत कुल 52 चयनित उत्तरदाता विद्यार्थियों से उन्हें छात्रावास में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के कारण विद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ करने, अध्ययन की निरन्तरता, शैक्षणिक वातावरण, पर्यावरण एवं जीवन स्तर पड़े प्रभावों की जानकारी करने पर उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं	छात्रावास में आवासीय सुविधा के स्तर	आवासीय सुविधाओं के प्रभाव का विवरण	उत्तरदाता	
			संख्या	प्रतिशत
(i)	अध्ययन संबंधी	छात्रावास में आवासीय सुविधा मिलने से अध्ययन प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, छात्रावास विद्यालय के नजदीक होने एवं शिक्षा सामग्री निःशुल्क प्राप्त होने से अध्ययन प्रारम्भ करने में सुविधा मिली है।	50	96.15
(ii)	उच्च कक्षाओं में अध्ययन की निरन्तरता	छात्रावास में निःशुल्क आवासीय सुविधा के अतिरिक्त अन्य सुविधाऐं जिनमें भोजन, साबुन, तेल, यूनिफार्म, जूतों की जोड़ी, हेयर कटिग की सुविधा निःशुल्क होने तथा तदर्थ अनुदान मिलने के कारण उच्च कक्षाओं में अध्ययन की निरन्तरता बनी रही।	51	98.08
(iii)	शैक्षणिक वातावरण	छात्रावास के समूह में रहने के कारण अध्ययन का अच्छा वातावरण मिलने लगा तथा परस्पर अध्ययन संबंधी जागरूकता बढने से प्रतिस्पर्धा विकसित होने लगी तथा छात्रावास अधीक्षक का नियन्त्रण रहने से शैक्षणिक वातावरण मिलने लगा।	51	98.08
(iv)	पर्यावरण	छात्रावास खुले स्थान में होने तथा पेड़ पौधे लगे होने एवं बड़े–बड़े कमरे हवादार होने, साफ–सफाई रहने से पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा वातावरण मिला।	51	98.08
(v)	जीवन स्तर/रहन–सहन	(क) छात्रावास में निःशुल्क सुविधा एवं तदर्थ अनुदान राशि प्राप्त होने से जीवन स्तर एवं रहन सहन में सुधार हुआ है।	45	86.53
		(ख) 500/– रूपयें का तदर्थ अनुदान मिलने से कपड़े सिलवानें, अवकाश के दिनों में घर/गाँव आने जाने में सुविधा मिल गई	1	1.92
		(ग) तदर्थ अनुदान नहीं मिलने पर भी छात्रावास में अन्य निःशुल्क सुविधाऐं मिलने से रहन–सहन के स्तर में सुधार हुआ है।	1	1.92

3.16.2 उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया है कि छात्रावास में निःशुल्क आवासीय सुविधा मिलने के कारण उन्हें अध्ययन प्रारम्भ करने, उच्च कक्षाओं में अध्ययन में निरन्तरता के साथ–साथ उन्हें छात्रावास में समूह के साथ रहने के कारण अच्छा शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ है। इससे अध्ययन के प्रति लगाव, जागरूकता बढ़ने तथा साथी, सहयोगियों में अध्ययन में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, छात्रावास अधीक्षक का सीधा नियन्त्रण रहने से उन्हें शिक्षा का अच्छा वातावरण मिलने लगा तथा दैनिक दिनचर्या में सुधार हुआ है। छात्रावास खुली जगह पर होने, बड़े–बड़े हवादार, रोशनी युक्त कमरों में रहने, पेड़–पौधे लगे होने तथा साफ–सुथरा वातावरण रहने से उनके जीवन पर पर्यावरण का अच्छा प्रभाव पड़ा है एवं शुद्ध वातावरण मिलने लगा है। इसके साथ ही छात्रावास में निःशुल्क सुविधा एवं तदर्थ अनुदान मिलने के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार होना बताया है। अतः स्पष्ट है कि छात्रावास में आवासीय सुविधा मिलने के कारण सभी दृष्टि से छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

3.16.3 अध्ययन किये गये उत्तरदाताओं से उन्हें छात्रावास सुविधा एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे अपनी पढ़ाई रोक देते या नहीं कि जानकारी करने पर तत्संबंध में उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का ब्यौरा निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	दिवस विद्यालय			छात्रावासों में आवासीत		
		छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आप अपनी पढाई करना रोक देते		चयनित आवासीत उत्तरदाताओं की संख्या	क्या छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आप पढ़ाई करना रोक देते	
			हाँ	नहीं		हाँ	नहीं
1.	अजमेर	24	2(8.33)	22(91.67)	28	11 (39.29)	17(60.71)
2.	जोधपुर	17	–	17(100.00)	4	–	4(100.00)
3.	उदयपुर	26	–	26(100.00)	13	–	13(100.00)
4.	जयपुर	83	40(48.19)	43(51.81)	7	4(57.14)	3(42.86)
	योग	**150(100.00)**	**42(28.00)**	**108(72.00)**	**52(100.00)**	**15(28.85)**	**37(71.15)**

नोटः– कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

3.16.4 उपरोक्त विवरण का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि दिवस विद्यालयों में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे कुल 150 उत्तरदाताओं में से 42(28.00 प्रतिशत) तथा छात्रावासों में आवासीत कुल 52 उत्तरदाताओं में से 15 (28.85 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया कि छात्रवृत्ति एवं छात्रावास सुविधा के अभाव में वे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते एवं अध्ययन करना रूक जाता इसके विपरीत 108 (72.00 प्रतिशत) दिवस विद्यालयों तथा 37 (71.15 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति एवं छात्रावास में सुविधा नहीं मिलने के बावजूद वे अपनी पढ़ाई नहीं रोकते तथा अध्ययन यथावत नियमित करते।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं पर छात्रवृत्ति एवं छात्रावास सुविधा का अध्ययन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता इससे यह स्पष्ट हैं कि अध्ययन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है एवं अपना शैक्षणिक विकास करने पर तत्पर है।

3.17 राशि की पर्याप्तता :

3.17.1 अध्ययन हेतु चयनित समग्र उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र के कार्यकारियों से योजनान्तर्गत निर्धारित राशि की पर्याप्तता संबंधी जानकारी करने पर उनसे प्राप्त जानकारी की सूचना निम्न तालिका में उपदर्शित की गई है :–

राशि की पर्याप्तता संबंधी जानकारी

उत्तरदाताओं की श्रेणी	चयनित उत्तरदाता	क्या योजनान्तर्गत निर्धारित राशि पर्याप्त है		
		हाँ	नहीं	प्रत्युत्तर नहीं दिया
दिवस विद्यार्थी	153	82(53.60)	70(45.75)	1(0.65)
छात्रावास विद्यार्थी	52	25(48.08)	16(30.77)	11(21.15)
कार्यकारी	42	23(54.76)	19(45.24)	–

3.17.2 उपरोक्त तालिका में उपदर्शित समंको के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि :–

(i) दिवस विद्यालयों के कुल 153 चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 82(53.60 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित राशि को पर्याप्त होना अवगत करवाया है एवं 70(45.75 प्रतिशत) ने अपर्याप्त होने की जानकारी दी है 1(0.65 प्रतिशत) उत्तरदाता ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ii) छात्रावासों में आवासीत कुल 52 चयनित उत्तरदाता विद्यार्थियों से राशि की पर्याप्तता संबंधी जानकारी करने पर 25(48.08 प्रतिशत) ने पर्याप्त होना एवं 16 (30.77 प्रतिशत) ने निर्धारित राशि को अपर्याप्त होना माना है। शेष 11 (21.15 प्रतिशत) ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(iii) क्षेत्र में कार्यरत चयनित 42 कार्यकारियों में से 23(54.76 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने निर्धारित राशि को पर्याप्त होना एवं 19(45.24 प्रतिशत) ने अपर्याप्त होने की जानकारी उपलब्ध करवाई है।

अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र के अधिकांश लाभान्वित उत्तरदाताओं एवं कार्यकारियों का स्पष्ट मत है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि पर्याप्त है।

3.17.3 जिन उत्तरदाताओं एवं कार्यकारियों ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि अपर्याप्त होना बताया है उनसे राशि बढ़ाने के औचित्यता/कारणों, आवश्यकताओं की जानकारी पर उन्होंने निम्नांकित आवश्यकताओं के मद्देनजर राशि बढाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है :–

(क) परीक्षा की तैयारी हेतु महंगी शिक्षण सामग्री/पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी खरीदनी पड़ती है जो काफी मंहगी है।

(ख) परीक्षा के समय कुछ विषयों की ट्यूशन करनी पड़ती है जिसकी फीस मंहगी होती है।

(ग) मंहगाई में वृद्धि लगातार हो रही है जिसके कारण वर्तमान में निर्धारित छात्रवृत्ति राशि एवं तदर्थ अनुदान की राशि बहुत कम है जबकि पढ़ाई/अध्ययन पर खर्चा बहुत अधिक आता है।

(घ) परिवार बहुत गरीब होने के कारण अपने बच्चें को पढ़ाना इस मंहगाई में बहुत कठिनाई भरा कार्य है। छात्रवृत्ति की राशि से तो अध्ययन सामग्री क्रय करना भी मुश्किल है।

3.17.4 जिन 86 उत्तरदाताओं एवं 19 कार्यकारियों ने वर्तमान में देय निर्धारित राशि को उपर्युक्त कारणों से अपर्याप्त होना बताया है उनसे कितनी छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान राशि बढ़ाये जाने संबंधी जानकारी करने पर उनसे प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में उपदर्शित किया गया है :–

उत्तरदाता की श्रेणी	निर्धारित राशि को अपर्याप्त बताने वाले समग्र उत्तरदाताओं की संख्या	कितनी राशि होनी चाहिए					
		तदर्थ अनुदान राशि में वृद्धि			छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि		
		1 से 600 रूपये तक	601 से 1200 रूपये तक	1201 से अधिक	1 से 600 रूपये तक	601 से 1200 रूपये तक	1201 से अधिक
दिवस विद्यार्थी	70	–	–	–	8(11.43)	62(88.57)	–
छात्रावास विद्यार्थी	16	2(12.50)	12(75.00)	2(12.50)	–	–	–
कार्यकारी	19	–	15(78.95)	4(21.05)	5(26.32)	14(73.68)	–

कोष्ठक ( ) में प्रतिशेत दर्शाया गया है।

3.17.5 उपरोक्त तालिका में वर्णित जानकारी के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि बढाये जाने हेतु कुल 70 दिवस विद्यार्थी उत्तरदाताओं में से 62(88.57 प्रतिशत) उत्तदाताओं ने 601 से 1200 रूपये तक की राशि एवं 8(11.43 प्रतिशत) ने 600 रूपये तक की छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि करने हेतु जानकारी उपलब्ध करवाई है। कार्यकारी 19 उत्तरदाताओं में से 14(73.68 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 601 से 1200 रूपये तक एवं 5(26.32 प्रतिशत) ने 600 रूपये तक छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि करने हेतु अपनी प्रतिक्रिया की है।

3.17.6 तदर्थ अनुदान की राशि में वृद्धि करने हेतु कुल 16 उत्तरदाता विद्यार्थियों में से 12(75.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 601 से 1200 रूपये तक की तदर्थ अनुदान राशि एवं 2(12.50 प्रतिशत) ने 1200 रूपये से अधिक तदर्थ अनुदान राशि बढाने तथा 2 (12.50 प्रतिशत) ने 600 रूपये तक अनुदान राशि किये जाने की राय व्यक्त की है। कार्यकारी 19 उत्तरदाताओं मे से 15(78.95 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 601 से 1200 रूपये तक की तदर्थ अनुदान राशि एवं 4(21.05 प्रतिशत) ने 1201 से अधिक की तदर्थ अनुदान राशि में वृद्धि किये जाने की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाया है।

अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिन उत्तरदाताओं एवं कार्यकारियों ने छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान राशि अपर्याप्त होने की जानकारी दी है उनमें अधिकांश उत्तरदाताओं एवं कार्यकारियों ने छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान की राशि 1200 रूपये तक की वृद्धि किये की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। अतः उक्त बिन्दु पर विभाग को अपने स्तर पर निर्णय किया जाना अपेक्षित होगा।

3.18 योजना की उपयोगिता :

3.18.1 क्षेत्र कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित क्षेत्र के कार्यकारियों से यह जानकारी की गई थी, योजना उपयोगी है या नहीं, तत्संबंध में चयनित 42 कार्यकारी उत्तरदाताओं में से 39 (92.86 प्रतिशत) कार्यकारियों ने योजना को उपयोगी होना एवं 3(7.14 प्रतिशत) ने उपयोगी नहीं होना बताया है। अतः स्पष्ट है कि अपवाद स्वरूप कुछ कार्यकारियों को छोड़कर अधिकांश कार्यकारियों ने योजना को उपयोगी होना अभिलिखित किया है।

3.18.2 जिन 39(92.86 प्रतिशत) कार्यकारियों ने योजना को उपयोगी होना बताया है उनसे योजना की उपयोगिता संबंधी तत्थों की जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने इसके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया में निम्न प्रकार से योजना को उपयोगी होना बताया है :–

1. अछूत होने की सोच हट रही है एवं सामाजिक स्तर में सुधार हो रहा है।
2. शिक्षा से वंचित गरीब बच्चों को आर्थिक छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाकर उन्हें सम्बल प्रदान कर रही है।
3. छात्रों की अध्ययन में रूचि बढ़ रही है।
4. विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हो रही है।
5. सरकारी विद्यालयों में छात्रों एवं उनके माता–पिता का सम्मान बढ़ा है।
6. छात्रवृत्ति मिलने से बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों एवं उसके संचालन में अभिभावकों की भी रूचि बढ़ने लगी है।

———

अध्याय चतुर्थ

समस्याऐं एवं सुझाव

4.1 पूर्वोक्तानुसार भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा "सफाई कर्मचारी के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 1992–93 से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत पात्रताधारी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। योजनान्तर्गत छात्रावास में आवासीत छात्र–छात्राओं को निर्धारित मापदण्डानुसार प्रतिमाह छात्रवृत्ति 10 माह के लिए उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त सभी विद्यार्थियों को रूपये 550/– प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष बतौर तदर्थ अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।

4.2 योजना का प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष, छात्रावास, कार्यकारी विभाग के सरकारी वर्ग शिक्षण संस्था के प्रधान, लाभार्थी एवं विद्यार्थी, एवं विद्यार्थी के अभिभावक का सम्बन्ध रहा है। अध्ययन के शोध कार्य दौरान उक्त वर्णित सभी वर्ग के व्यक्तियों से छात्रवृत्ति राशि वितरित/प्राप्त करने के सम्बन्ध में अनुभूत समस्याओं के साथ उनके समुचित निराकरण हेतु उनके सुझाव भी आमंत्रित किये गये हैं। संकलित सूचनाओं से मुख्य–मुख्य समस्याओं एवं सुझावों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार उपदर्शित किया जा रहा है :–

क्र.सं.	समस्याऐं	सुझाव
1.	अस्वच्छकार का प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी का स्पष्ट मनोनयन नहीं होने के कारण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाइयाँ आती है।	स्वच्छकार का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी का मनोनयन कर सम्बन्धित कार्यकारी विभाग को जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उनकी पालना के पश्चात् राशि का वितरण हो सके।
2.	कुछ विद्यार्थियों द्वारा सरपंच से प्राप्त स्वच्छकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है जबकि उनके अभिभावक स्वच्छकार कार्य नहीं करते है। फलतः पात्र छात्र–छात्राओं को भी योजना का लाभ मिल जाता है।	सरपंच द्वारा जारी स्वच्छकार प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए।

3.	कार्यकारी विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं को मांग के अनुसार राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को देय राशि का वितरण समय पर नहीं हो पाता है, जिससे शैक्षणिक कार्यों की अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति में व्यवधान बताया गया है।	कार्यकारी विभाग द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित छात्रवृत्ति राशि समय पर उपलब्ध करायी जाकर शिक्षण संस्थाओं के द्वारा समय पर राशि के वितरण कार्य को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक कार्य में कोई गतिरोध नहीं बने।
4.	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काफी लम्बे समय से राशि अनुपयोगी पड़ी रहने से सम्बन्धित छात्र–छात्राओं को राशि का वितरण नहीं हो सका।	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में राशि अनुपयोगी नहीं रहे/प्राप्त राशि यथाशीघ्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था को वितरण हेतु उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि छात्र–छात्राओं को राशि का लाभ प्राप्त हो सके।
5.	छात्रावास में आवासीय छात्र–छात्राओं को तदर्थ अनुदान राशि अल्प होने से शैक्षणिक कार्य सुगमता पूर्वक सम्पन्न नहीं हो सके।	छात्रावास में आवासीय छात्र–छात्राओं को तदर्थ अनुदान राशि में यथोचित संवर्द्धन किया जाना चाहिए ताकि छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक कार्य में सफलता मिल सके।
6.	छात्रवृत्ति की राशि समय पर नहीं मिलने के कारण छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता बनी रहती है।	सभी छात्र–छात्राओं को देय छात्रवृत्ति की राशि सम्बन्धित शाला द्वारा समय पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि छात्र–छात्राओं को शिक्षा के प्रति रूझान बन सके।
7.	संचालित योजना की जानकारी कई पात्र छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को नहीं होने कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।	विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना का प्रचार–प्रसार ग्रामीण अंचलों तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि योजना की जानकारी बाद शिक्षा से वंचित रहे छात्र–छात्राओं को शिक्षा से नियमित जुड़े रहने से योजना का लाभ मिल सके।

8.	स्टाफ की कमी के कारण शाला में छात्रवृत्ति व तदर्थ अनुदान एक ही लेखा में संधारित किया जाता है जबकि दोनों मद अलग–अलग है।	शाला द्वारा छात्रवृत्ति व तदर्थ अनुदान लेखा का संधारण अलग–अलग नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
9.	कई शालाओं में विभाग द्वारा 10 माह के स्थान पर 8 माह की ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है।	छात्रवृत्ति की राशि विभाग द्वारा 10 माह तक उपलब्ध कराये जाने की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए।
10.	छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत देय राशि की मात्रा बढ़ते हुए मूल्य सूचकांक को देखते हुए अल्प बतायी गई है। छात्रवृत्ति की राशि आकर्षक नहीं होने के कारण अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक कार्य के प्रति लगाव प्रभावित रहता है।	शिक्षण कार्य बढ़ते हुए व्यय को मध्येनजर रखते हुए छात्रवृत्ति राशि की सीमा में वृद्धि हेतु प्रयास किये जाने चाहिए ताकि छात्रवृत्ति की राशि के आकर्षण से छात्र–छात्राओं की शिक्षण कार्य के प्रति संलग्नता बनी रहे।
11.	छात्रवृत्ति की राशि का वितरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में नहीं होकर अगले वित्तीय वर्ष में होता है जो छात्र–छात्राओं के शिक्षण कार्य के प्रति रूचि को कम करने में सहायक होता है।	सम्बन्धित छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का वितरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही कराया जाना चाहिए।
12.	छात्रवृत्ति राशि का लाभ सभी छात्र–छात्राओं को नहीं मिलने के कारण शिक्षण कार्य नियमित रखने में कठिनाइयाँ आती है।	योजनान्तर्गत पात्रताधारी सभी छात्र–छात्राओं/अभिभावकों को निर्धारित राशि का वितरण किया जाना चाहिए ताकि लाभान्वितों की संख्या में इजाफा के साथ उनको शिक्षण कार्य में नियमित रखने में मदद मिल सके।
13.	छात्रवृत्ति राशि कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को ही दी जा रही है जबकि योजना की रूपरेखा अनुसार कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।	योजनान्तर्गत पात्रताधारी सभी छात्र–छात्राओं को कक्षा 10 तक स्वीकृत राशि का वितरण कराया जाना चाहिए।

प्रतिवेदन कार्य में सहभागी अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	पदस्थापन
1.	श्री बी.एल.मेहरा	संयुक्त निदेशक	मुख्यालय, जयपुर
2.	श्री एस.एस.माथुर	उपनिदेशक	मुख्यालय, जयपुर
3.	श्रीमती कमला मेहता	अन्वेषण सहायक	मुख्यालय, जयपुर
4.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	अन्वेषण सहायक	मुख्यालय, जयपुर
5.	श्रीमती सविता मौर्य	अन्वेषक	मुख्यालय, जयपुर
6.	श्री बृजमोहन	शीघ्रलिपिक	मुख्यालय, जयपुर
7.	श्रीमती निशी सोगानी	शीघ्रलिपिक	मुख्यालय, जयपुर
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
9.	श्रीमती बृज कुमारी सक्सैना	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
10.	श्री अनिल मालोदिया	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जोधपुर
11.	श्री ओ.पी. मेहता	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, उदयपुर
12.	श्री छोटेलाल	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, अजमेर
13.	श्रीमती सरोज लखावत	अन्वेषक	संभाग मूलयांकन कार्यालय, अजमेर

———